

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
Abridged Annual Report
2018-19

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र
CENTRAL BANK OF INDIA
Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra

निदेशक मंडल	BOARD OF DIRECTORS
श्री तपन राय श्री पल्लव महापात्र श्री पी. आर. मूर्ति श्री. बी. एस. शेखावत श्री आलोक श्रीवास्तव डॉ. भूषण कुमार सिन्हा श्री थॉमस मैथ्यू (दिनांक 26.04.2019 से) श्री एन. नित्यानंद प्रो. (डॉ.) आत्मानंद श्रीमती मिनी आईप	SHRI TAPAN RAY SHRI PALLAV MOHAPATRA SHRI P. R. MURTHY SHRI B. S. SHEKHAWAT SHRI ALOK SRIVASTAVA DR. BHUSHAN KUMAR SINHA SHRI THOMAS MATHEW (w.e.f. 26.04.2019) SHRI N. NITYANANDA PROF. (Dr.) ATMANAND SMT MINI IPE
लेखा परीक्षक	**AUDITORS**
मे. एस. के. मेहता एण्ड कं. मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी एएजेवी एंड एशोसिएट	M/s. S. K. Mehta & Co. M/s. Borkar & Muzumdar M/S. Mukund M. Chitale & Co M/S. Aajv And Associates
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS**
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK**
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in	DGM / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / Contents	पृठ क्र. Page No.
अध्यक्ष का संदेश	2
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	4
निदेशक मंडल / Board of Directors	6
सूचना	8
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	16
निदेशक रिपोर्ट 2018-19	17
प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	27
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	37
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	49
दिनांक 31 मार्च, 2019 का संक्षिप्त तुलन पत्र	56
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ व हानि खाता	58
संक्षिप्त विवरणियों पर टिप्पणियां	60
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	61
दिनांक 31 मार्च, 2019 का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र	66
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त समेकित लाभ व हानि खाता	68
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी	70
प्रॉक्सी फार्म	73
CHAIRMAN's MESSAGE	77
MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE	79
Notice	81
Performance Highlights	89
Director's Report 2018-19	90
Management Discussion & Analysis	100
Corporate Governance	108
Auditors' Report to the Members	119
Abridged Balance Sheet as at 31 March, 2019	126
Abridged Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2019	128
Notes to Abridged Financial Statements	130
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2019	131
Abridged Consolidated Balance Sheet as at 31 March, 2019	136
Abridged Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2019	138
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2019	140
Proxy Form	143
Attendance Slip / Entry Pass	145



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय स्टेक धारक,

पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग उद्योग एक कठिन दौर से गुजरा है, जिसमें इस उद्योग से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. तथापि, आगे बढ़ने पर सुरंग के अंत में आशा की एक झलक भी दिखाई देती है क्योंकि कुछ समय पहले हुई उथल-पुथल शांत होती प्रतीत हो रही है. कमजोर आस्तियों की कांटों भरी राह से निपटने की प्रक्रिया जारी है. कॉर्पोरेट दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की तीव्र गति और घटते हुए नए खराब ऋणों के कारण बैंकिंग उद्योग के लिए वर्ष 2019-20 हर तरह से सकारात्मक रहने की संभावना है. कमजोर आस्तियों में कमी होने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अत्यंत आवश्यक पूंजी, मुक्त होगी और बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी. साथ ही, इस क्षेत्र पर नियामक निगरानी, बाजार में क्रमिक विकास हेतु अपेक्षित अनुशासन को निस्संदेह सुनिश्चित करेगी.

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कई कारकों के परिणामस्वरुप वर्ष 2018 में विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी दिखाई दी. प्रमुख रुप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त व्यापार संरक्षणवाद तथा अन्य अनिश्चितताओं में हो रही वृद्धि के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वर्ष 2019 के लिए वृद्धि अनुमानों को कम किया गया है. घरेलू मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था ने हाल की तिमाहियों में मध्यम संकेत दिए हैं. वर्ष 2018 के अंतिम तीन महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत वार्षिक दर से आगे बढ़ी, जो पिछली अवधि में संशोधित 7 प्रतिशत विस्तार और 6.9 प्रतिशत की बाजार की उम्मीदों और वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत की तुलना में नीचे थी, जो कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण पांच तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि दर रही है. आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ब्रेन्ट ऑयल की कीमत अक्तूबर 2018 में प्रति बैरल $ 80 तक पहुंच गयी, जिसने भारत की चालू खाता शेष राशि को प्रभावित किया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल, 2019 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है.

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण सुधार होने के साथ-साथ तकनीकी प्रगति और तकनीकी कुशल मानव संसाधनों के कारण उभरती फिन टेक कंपनियों, भुगतान बैंकों से बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. विशाल डेटा का लाभ उठाना, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटलीकरण बैंकिंग स्पेक्ट्रम में चारों ओर व्याप्त है, जो आज समय की मांग भी है. हमारे बैंक ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम को कम करते हुए परिचालन लागत को घटाने के लिए तकनीकी चुनौती को सही अर्थों में अपनाया है. इसका उद्देश्य अंततः, बेहतर सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को लाभान्वित करना है. हमारा बैंक ग्राहक की निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं के प्रति पूर्ण रुप से सचेत है क्योंकि बैंकिंग परिवेश में प्रौद्योगिकी आधारित विशेषज्ञता में तेजी जारी है.

गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए), बैंकिंग उद्योग के लिए एक प्रमुख चुनौती हैं. बैंकिंग सुधारों, विशेष तौर पर परेशानी का कारण बनने वाले एनपीए के समाधान हेतु दिवाला और दिवालियापन संहिता (आइबीसी) की शुरुआत ने एक नयी आशा जागृत की है. आइबीसी प्रक्रिया से सामने आए प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं और हमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आइबीसी के तहत एनसीएलटी के माध्यम से महत्त्वपूर्ण एनपीए खातों के समाधान की उम्मीद है. हमने एनपीए की चुनौती से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है और इस रणनीति के माध्यम से उल्लेखनीय लाभ प्राप्त करने के प्रति हम आश्वस्त हैं.

हमने क्रेडिट, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में यथोचित सावधानी, ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है. भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को दिए जा रहे समर्थन और प्रोत्साहन को देखते हुए हमारे बैंक ने भी उसी रणनीति को अपनाया है. किसी भी सशक्त संस्था के लिए मानव संसाधन एक अनिवार्य तत्व है और हमारा बैंक मानव संसाधन की प्रगति को अपेक्षित महत्त्व देना जारी रखेगा. मुझे विश्वास है कि सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के हमारे प्रयासों द्वारा हम शीघ्र ही इस कठिन दौर से उभर कर निकलेंगे और वर्ष 2019-20 में हानि की स्थिति से भी बाहर आएंगे.

जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संबंध है, निदेशक मंडल, बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं ताकि उन्हें व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने में सहायता मिले, जो बैंक को एक सुदृढ़ विकास पथ पर अग्रसर करने में सहायक हो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सदैव इस बात को महत्त्व दिया है कि व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए स्टेक धारक मूल्य को अधिकतम किया जाए. बैंक ने अधिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाया है, जिनकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है.

अंत में, मैं अपने ग्राहकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अन्य उपलब्ध विकल्पों के बावजूद अपने पसंदीदा सेवा प्रदाता के रुप में हमारा चयन किया और मैं अपने सभी स्टेक धारकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे सभी प्रयासों को अपना निरंतर समर्थन दिया है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्त/-
तपन राय

स्थान -मुंबई
दिनांक - 22 मई,2019



प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही के समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण परिवेश से संचालित हो रही है. वर्ष 2017 से 3.8% की वृद्धि दर हासिल करने के उपरांत वर्ष 2018 में वैश्विक वृद्धि दर 3.3% के सामान्य स्तर पर रही. आईएमएफ के अप्रैल 2019 के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में 3.6% के उछाल से पहले वर्ष 2019 में 3.3% के मामूली वृद्धि दर के स्तर पर रहेगी. वर्ष 2018 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर संयमित वृद्धि दर दर्शायी है. यूएस के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते और आभासी (shadow) बैंकिंग को रोकने के लिए उठाये गए कदमों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था ने मंदी का दौर देखा है. यूएस फेड ने अधिक उदार मौद्रिक नीति अपनाने का संकेत दिया है.

घरेलू परिदृष्य में, वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर रहा. वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में निजी तथा सरकारी उपभोग व्यय में सामान्य वृद्धि हुई. फिर भी, सकल स्थिर पूंजी निर्माण में द्वि-अंकी वृद्धि जारी रही. अगस्त 2018 से मार्च 2019 के सभी महीतों में मुख्यत: मामूली खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति कम रही और 4% से कम रखी गई. वर्ष 2018-19 के बाद के समय में ईंधन में मुद्रास्फीति दर भी अपेक्षाकृत कम रही. मौद्रिक नीति के मोर्चे पर फरवरी, 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु से कमी करते हुए इसे 6.25% कर दिया तथा अपना रवैया बदलते हुए तटस्थ की भूमिका अपनाली. तदोपरांत अप्रैल 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार बिन्दु की कटौती करते हुए इसे 6% कर दिया.

बैंकिंग उद्योग के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में ऋण वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई तथा वर्ष 2018-19 के लगभग प्रत्येक माह में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यह 10% से ऊपर ही रही. फरवरी 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात लगभग 78% रहा. क्षेत्रवार आधार पर व्यक्तिगत ऋण तथा सेवाओं के क्षेत्र में मार्च 2019 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर द्वि-अंकी वृद्धि दर्ज हुई.

अब मैं इस वर्ष के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा. इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक का व्यवसाय ₹ 4,67,584 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 4,72,323 करोड़ था. बैंक का जमा ₹ 2,99,855 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 2,94,839 करोड़ था. कुल जमा में कासा की प्रतिशत हिस्सेदारी 46.21% रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह हिस्सेदारी 42.46% थी. उच्च लागत जमाओं में ₹793 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में उच्च लागत जमा ₹850 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2019 को हमारा कुल अग्रिम ₹1,67,729 करोड़ था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 1,77,484 करोड़ था, उच्च जोखिम भारित आस्तियों में हमारे एक्सपोजर को घटाना इसकी मुख्य वजह रही.

पिछले 3-4 वर्षों के दौरान आस्ति गुणवत्ता सामान्यत: बैंकिंग उद्योग में तथा विशेषकर हमारे बैंक में चिंता का एक प्रमुख कारण रही है. संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019 में हम ₹5,656 करोड़ की नकद वसूली तथा अपग्रेडेशन कर पाए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह ₹3,122 करोड़ थी. बैंक का सकल एनपीए घटकर ₹ 32,356 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹38,131 करोड़ था. हमारा सकल एनपीए दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटकर 19.29% हो गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह 21.48% था. शुद्ध एनपीए का प्रतिशत दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटाकर 7.73% तक लाया गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह 11.10% था. वर्ष 2019-20 के दौरान आईबीसी के तहत एनसीएलटी के माध्यम से कुछ बड़े एनपीए खातों में समाधान की उम्मीद है. वर्ष 2019-20 के दौरान एनपीए वसूली का बढ़ाने, आस्ति गुणवत्ता में बेहतरी लाने तथा शुद्ध लाभ अर्जित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की जमा लागत घटकर 5.21% हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यह 5.53% थी. बैंक की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर ₹ 6,773 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6,517 करोड़ थी, जबकि गैर-ब्याज आय घटकर ₹ 2,413 करोड़ हो गई, जो वर्ष

2017-18 के दौरान ₹ 2,623 करोड़ थी, जिसका मुख्य कारण ट्रेडिंग बही में ₹ 325 करोड़ की हानि को अंतरित करना था. तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली बेहतरी के साथ 35.85% रही. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.47% थी, जो लगभग उसी स्तर पर अर्थात् 2.54% रही. इसका मुख्य कारण एनपीए खातों में ब्याज का रिवर्सल था.

बैंक का परिचालन लाभ ₹ 3,127 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह ₹ 2,733 करोड़ था. तथापि, बैंक ने ₹ 5,641 करोड़ की हानि दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध हानि ₹ 5,105 करोड़ थी. इसकी मुख्य वजहें उच्चतर एनपीए प्रावधान, स्लीपेज़/एजि तथा एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधान, निवेशों ट्रेडिंग लाभ में कमी इत्यादि हैं. दिनांक 31.03.2018 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 63.13% रहा, जबकि दिनांक 31.03.2019 को सुधार के साथ यह बढ़कर 76.60% हो गया, जिसने हमारे तुलन-पत्र को मजबूती प्रदान की है. दिनांक 31.03.2018 को बैंक का लागत आय अनुपात 70.10% था, जो दिनांक 31.03.2019 को उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 65.96% अनुपात हो गया. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात अर्थात् CRAR (बासल-III) वर्ष 2018 के 9.04% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 9.61% हो गया. यह सभी वित्तीय संकेतक यह दर्शाते हैं कि परिवर्तन की दिशा सही है.

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक के नेटवर्क के अंतर्गत 4,659 शाखाओं, 3,966 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालयों एवं 1 एक्स्टेंशन काऊंटर शामिल हैं. हमारा बैंक 29 राज्यों, 6 में से 5 संघशासित राज्य एवं एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालय तथा देश में कुल 707 जिलों में से 635 जिलों में अपनी उपस्थिति के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हैं, जो हमारे बैंक की शक्ति का स्रोत है.

अपने बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में मुझे हर्ष हो रहा है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्त/-

पल्लव महापात्र

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2019

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री तपन राय
Shri TAPAN RAY
अध्यक्ष
Chairman



श्री पल्लव महापात्र
Shri PALLAV MOHAPATRA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री पी. आर. मूर्ति
Shri P. R. MURTHY
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री आलोक श्रीवास्तव
Shri ALOK SRIVASTAVA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / *Contd...*)



डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA

निदेशक
Director



श्री थॉमस मैथ्यू
Shri THOMAS MATHEW

निदेशक
Director



श्री एन. नित्यानंद
Shri N. NITYANANDA

निदेशक
Director



प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND

निदेशक
Director



श्रीमती मिनी आईप
Smt MINI IPE

निदेशक
Director

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 28 जून 2019 को दोपहर 12.00 चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च, 2019 का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ / राइट इश्यू / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनों के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2018 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 5000/- करोड़ (रुपए पाँच हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम सहित, यदि हो) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ("सक्षम प्राधिकारी " के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन कहा गया है") निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और / अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/ अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला

में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/ वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 22.05.2019

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

6. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून (मंगलवार), 2019 से दिनांक 28 जून, 2019 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

7. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

10 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड (अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास

अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्लू.) के द्वारा भेजे गए हैं

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत कराए होते तो लाभां की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयावधि मंगलवार दिनांक 25 जून 2019 को प्रात:10:00 बजे से प्रारंभ हो कर गुरुवार दिनांक 27 जून 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शुक्रवार दिनांक 21 जून 2019 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों वे अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं. वोटिंग के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रीय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक डपैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस पर चिपकाए गए पते के स्टीकर पर छपे हुए सीक्वेंस नंबर पैन फील्ड में उल्लिखित स्थान पर प्रयोग करें,
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि डीओबी अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

(viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, "सबमिट" टेब पर क्लिक करें.

(ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे "पासवर्ड क्रियेशन" मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यत: लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगें, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.

(X) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.

(xi) कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप वोट करना चाहते हैं.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.

(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशन्स फाइल" लिक पर क्लिक करें.

(xiv) 'रिजोल्यूशन" का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, "ओ.के." पर क्लिक करें. एक कन्फरमेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओ.के." पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट 'कन्फर्म" करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर "प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) शेयर धारक एड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंगउपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते है. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.

(xix) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.

- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.

(xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

II कट-ऑफ तारीख दिनांक 21 जून 2019 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्पोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 21 जून, 2019 को एजीएम में रिमोर्ट ई- वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

IV कोई व्यक्ति जो बैंठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 21 जून, 2019 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है.

V. इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लिगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरूद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/ राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सामान्य इक्विटी टीयर – 1 (सीईटी – 1) अनुपात न्यूनतम 5.50% एवं ईक्विटी पूंजी (सीसीबी) के रूप में 2.50% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 9.50% एवं समग्र सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. बैंक को निरंतर आधार पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी. अत: आपके निदेशकों ने ₹5000/- करोड़ (₹ पांच हजार करोड़) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसाय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है. ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेंट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

i. ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारण के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.

ii. चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अत: जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.

iii. पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा.

iv. प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबन्धकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.

v. प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए.

vi. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी.

vii. आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक कंपनी सचिव

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 22.05.2019

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19
कुल व्यवसाय	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)
कुल जमा	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%
कुल ऋण एवं अग्रिम	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)
निवेश	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%
सीडी अनुपात	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%	55.94%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19
सकल आय	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)
सकल व्यय	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)
परिचालन लाभ	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%
शुद्ध लाभ/हानि	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----	----
निम (%)	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47	2.54
शुद्ध ब्याज आय	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%
गैर ब्याज आय	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)

निदेशक रिपोर्ट 2018-19

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹4,67,584 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2018 को ₹4,72,323 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 299855 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च, 2018 में ₹ 294839 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल अग्रिम ₹ 1,67,729 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2018 में ₹ 1,77,484 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 25,052 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 26,659 करोड़ थी.
- बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹ 2,413 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2,623 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 14.42% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 3,127 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3089 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹ 5,641 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 5,105 करोड़ थी. यह हानि मुख्यत: उच्चतर एनपीए प्रावधानों, उच्चतर स्लिपेज/एजिंग एवं एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधानों, निवेश पर विशेष रूप से घटते ट्रेडिंग लाभ, निवल ब्याज आय में कमी इत्यादि के कारण है.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 471 करोड़ की कमी के साथ ₹ 3,566 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 4,037 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल-II के अंतर्गत)10.13% हो गया, जिसमें टीयर I 5.70% और टीयर II 4.43% है. दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III के अंतर्गत) 9.61% हो गया, जिसमें टीयर I 7.49% और टीयर II 2.12% है.
- बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 16,062.89 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर 5,161 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2403 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बेहतरी दर्शाते हुए 19.29% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 21.48% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए घटकर 7.73% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 11.10% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को प्रोविजन कवरेज अनुपात सुधरकर 76.60% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को 63.31% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सुधरकर 2.54% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 2.47% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 12.78 करोड़ रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (1.70)% रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर ₹ 83,201 हो गया है. जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष से ₹ 366 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एएनबीसी को ऋण के आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 27,436 करोड़ के पीएसएलसी का विक्रय किया है तथा एमएसएमई पोर्टफोलियों में ₹ 5,885 करोड़ की पीएसएलसी की खरीद की है. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री ₹ 21,551 करोड़ रही. दिनांक 31.03.2019 को प्राथमिकता क्षेत्र में आरआईडीएफ में बकाया ₹4907.27 करोड़ रहा जिसमें से कृषि में यह राशि ₹3,075.97 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कृषि ऋण वर्ष-दर-वर्ष 15.85% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 35,655 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 30,776 करोड़ था.

- पीएसएलसी और सिडबी तथा मुद्रा लि. में निवेश किए बिना दिनांक 31 मार्च, 2019 को एमएसएमई अग्रिम ₹ 32,090 रहा जो कुल अग्रिम और ऋण का 19.13% है.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 48,666 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 48,123 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो 23,301 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 21,392 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.92% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 47.88% रही.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2018-19 के दौरान, आरसेटी ने 1098 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 31,274 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 23403 (अर्थात 74%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है. नियोजित अभ्यर्थियों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 13,227 अर्थात 43% रही.
- बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले है. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 202 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले है. दिनांक 31 मार्च, 2019 को इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 3,307.16 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹22 करोड़ हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4659 शाखाएं हैं जिनमें से 63.32% ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 3966 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2018-19 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं : ₹ करोड़ में

		31.03.2019	31.03.2018	विचलन	%
1	**ब्याज आय**	22639	24036	(1397)	(5.81)
	-अग्रिम	12950	14478	(1528)	(10.55)
	-निवेश	8454	7138	1316	18.44
	-अन्य	1235	2420	(1185)	(48.97)
2	**गैर ब्याज आय**	2413	2623	(210)	(8.01)
3	**कुल आय (1+2)**	25052	26659	(1607)	(6.03)
4	**प्रदत्त ब्याज**	15866	17519	(1653)	(9.44)
	-जमा	15276	16222	(946)	(5.83)
	-अन्य	590	1297	(707)	(54.51)
5	**परिचालन व्यय**	6059	6407	(348)	(5.43)
	-स्थापना	3565	4037	(472)	(11.69)
	-अन्य	2494	2370	124	5.23
6	**कुल व्यय (4+5)**	21925	23926	(2001)	(8.36)
7	**स्प्रैड (1-4)**	6773	6517	256	3.93
8	**परिचालन लाभ (3-6)**	3127	2733	394	14.42
9	**प्रावधान**	8768	7838	930	11.87
10	**कर के लिए प्रावधान**	(2529)	(2791)	262	(9.39)
11	**शुद्ध लाभ/(हानि)**	(5641)	(5105)	(536)	------

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 8,768 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019	31.03.2018	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(115)	7	(122)
एनपीए के लिए प्रावधान	11030	10543	487
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	(425)	(951)	526
निवेश के लिए प्रावधान	984	799	185
करों के लिए प्रावधान	(2529)	(2791)	262
अन्य	(177)	231	(408)
कुल	**8768**	**7838**	**930**

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2019	31.03.2018
जमाओं की लागत	5.21	5.53
निधियों की लागत	5.28	5.79
अग्रिमों पर आय	7.28	8.31
निवेशों पर आय	7.15	7.14
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.54	2.47
लागत आय अनुपात	65.96	70.10

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2019	31.03.2018
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	6.81	7.59
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.73	0.83
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.94	0.86
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(1.70)	(1.61)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	12.78	12.71
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(15.55)	(13.86)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2019	31.03.2018
	बासल-III	बासल-III
सीईटी 1 / टियर-1	7.49	7.01
टियर-2	2.12	2.03
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.61	9.04

7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 5641 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री तपन राय दिनांक 23 मई, 2018 से वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अंशकालिक गैर-सरकारी और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं.
- श्री राजीव ऋषि, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक 1 अगस्त, 2018 से बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- श्री पल्लव महापात्र भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना के अनुसार 21 सितंबर, 2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं.
- श्री गोविंद मोहन दिनांक 14 मई, 2018 से बैंक के भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं हैं.
- डॉ भूषण कुमार सिन्हा को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 14 मई, 2018 से वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.
- श्री बी के दिवाकर, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 23 जनवरी, 2019 से बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- श्री आलोक श्रीवास्तव वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 23 जनवरी, 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.
- शेयरधारक निदेशक श्री के आर पटेल दिनांक 1 जुलाई, 2018 से बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- श्रीमती मिनी आइप को 1 जुलाई, 2018 से से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं.

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री राजीव ऋषि, श्री गोविद मोहन, श्री बी के दिवाकर और श्री के आर पटेल प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

8.1 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार विद्यमान आरबीआई नामित निदेशक श्री शेखर भटनागर के स्थान पर हमारे बैंक के बोर्ड में श्री थॉमस मैथ्यू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू को तुरंत प्रभाव (दिनांक 26 अप्रैल, 2019) से अगले आदेश तक आरबीआई नामित निदेशक मनोनीत किया जाता है. श्री शेखर भटनागर द्वारा आरबीआई निदेशक के रुप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान हेतू बोर्ड द्वारा प्रशंसा की जाती है.

9. कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (इएसपीएस) के माध्यम से पूंजी जुटाना

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के तहत पात्र कर्मचारियों से ₹ 212.53 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई. ईएसपीएस के तहत यह इश्यू 19 मार्च, 2019 को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला और 29 मार्च, 2019 को बंद किया गया था. 31 मार्च, 2019 को ₹212.53 करोड़ रुपये की पूंजी निधि शेयर आवेदन निधि खाते में रखी गई थी. बैंक ने दिनांक 15 मई, 2019 को 26,071 पात्र कर्मचारियों को अपेक्षित 7,87,16224 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं.

10. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

11. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्तियों के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है. बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से बाहर आने के सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायक होंगे.

12. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है. इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है.

13. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

- निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;
- महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ/हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे.
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं.

14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरश: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

15. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

हस्त/-

तपन राय
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2019

फॉर्म नंबर एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए.

[सेबी परिपत्र संख्या आईआर / सीएफडी / सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियम और प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है और पाया है कि **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (इसके पश्चात बैंक कहा जायेगा) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों का पालन किया जाता है. सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया है कि इस पर कॉरपोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन एवं दिए गए हमारे टिप्पणियों को उचित आधार दिया गया है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लेखा, कागजात, कार्यवृत्त लेखा, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न एवं बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में, बैंक ने, दिनांक 31/03/2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाले लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है एवं साथ ही यह भी है कि बैंक के पास एक सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, इसके पश्चात किए गए रिपोर्टिंग के तरीके और विषय:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31/03/2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों, कागजातों, कार्यवृत्त लेखों, प्रपत्रों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम, जो बैंक पर प्रभावी रूप से लागू है

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं विनियमों; **(समीक्षाधीन अवधि में बैंक के लिए लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला) विनियम, 2018;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं, अतः कोई बायबैक नहीं थे)**

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013; **(समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के लिए लागू नहीं)**

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(vi) बैंक के लिए लागू अन्य नियम निम्नलिखित है:

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार (GOI) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

(बी) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इसके संशोधन

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड (BSE) लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट्स

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उपर्युक्त दिए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल उचित प्रकार से स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों के पूर्ण संतुलन सहित गठित है. निदेशक मंडल के संघटन में समीक्षा समयावधि के अंतर्गत किए गए परिवर्तन बैंकिंग विधि के प्रावधान के अनुपालन में सेबी (एलओडीआर) के साथ सामंन्जस्य सहित है.

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक, एजेन्डा एवं एजेन्डा पर विस्तृत नोट के बारे में सात दिन पूर्व ही नोटिस प्रेषित कर दिया गया था एवं इसके अतिरिक्त बैठक में जानकारी एवं एजेन्डा मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनायी गयी है ताकि बैठक में एक सार्थक सहभागिता हो सके.

बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में परिपत्रों के द्वारा प्रस्तावों सहित निर्णयोंपर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी. समीक्षा की अवधि के अंतर्गत निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति नहीं दर्शायी गयी.

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार एवं परिचालन को मॉनीटर एवं लागू कानून, नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उसके अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं.

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान:

i). बैंक की दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में नये ईक्विटी शेयर / अथवा बासल III की दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त टियर –I अथवा टियर II पूंजी जारी कर बैंक की पूंजी उगाही की स्वीकृति के लिए विशेष संकल्प लिया गया.

तदनुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 29 मार्च, 2019 को सेबी (उधार प्रतिभूतियों का जारीकरण एवं सूचीबद्धता) अधिनियम, 2008 के अनुपालन में प्रत्येक ₹10 लाख के ₹500 करोड़ की राशि के एनएसई / बीएसई इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर बंद हुई बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी नियोजन आधार पर 5000 बॉन्डस भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए.

ii). बैंक की दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित असमान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए –

(ए) नगद के लिए ₹56.43 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 35,43,57,970 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं आबंटन करना. अर्थात अधिमानी आधार पर ₹ 66.43 के इश्यू राशि पर ₹2354 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी.

तदानुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए.

iii). बैंक की दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित असामान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए

(ए) नगद के लिए ₹33.31 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 38,74,39,390 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं आबंटन करना. अर्थात अधिमानी आधार पर ₹ 43.31 के इश्यू राशि पर ₹1678 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी.

तदानुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए गए.

(बी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी स्टॉक परचेज़ स्कीम, 2019 (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ईएसपीएस, 2019) के अंतर्गत एक अथवा इससे अधिक हिस्सों में प्रति ₹10/- अंकित मूल्य के 10 करोड़ तक के नये इस राशि पर एवं बोर्ड /समिति द्वारा पूर्ण रूप से लिए गए निर्णयों पर इक्विटि शेयर के सृजन, स्वीकृति, ऑफर, जारीकरण एवं आबंटन करना.

शेयर वर्तमान वित्तीय बर्ष में आबंटित किए जाएंगे.

iv). बैंक की दिनांक 28 मार्च, 2019 को आयोजित असामान्य साधारण बैठक में निम्न के लिए विशेष संकल्प पास किए गए

(ए) नगद के लिए ₹27.25 प्रीमियम पर प्रति ईक्विटी शेयर के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 68,72,48,322 ईक्विटी शेयरों का सृजन, जारी एवं

आबंटन करना. अर्थात अधिमानी आधार पर ₹ 37.25 के इश्यू राशि पर ₹2560 करोड़ तक की राशि के भारत सरकार को जारी.

तदानुसार, बैंक के बोर्ड की पूंजी उगाही समिति ने दिनांक 28 मार्च, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में सेबी आईसीडीआर अधिनियम 2018 के अनुपालन में उपर्युक्त शेयर आबंटित किए गए.

v). धारा 47 (ए)(1)(सी) के साथ सहपठित बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान की गयी शक्तियों के तहत बैंक पर कुछ समाधान खामियों के कारण ₹10 मिलियन की पेनाल्टी लगायी है. यह स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया है.

vi). सूचना ज्ञापन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित कर्ज लिखत का मोचन किया है

मोचन की तारीख	लिखत की प्रकृति	मोचन राशि	उद्देश्य
10.04.2018	लोअर टियर II सिरीज़ III	274,08,06,988	परिपक्वता पर मोचन
14.11.2018	अपर टियर II सिरीज़ I	334,35,00,000	क्रय विकल्प पर मोचन
17.02.2019	अपर टियर II सिरीज़ II	311,86,35,486	क्रय विकल्प पर मोचन

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया
एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019
स्थान : मुम्बई

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक – I

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

यहां तक की तारीख की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लागू कानून के सभी प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुपालन का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं का परीक्षण जांच आधार पर जांच करने का हमारा परीक्षण सीमित था.
2. सचिवीय एवं लागू अन्य विधिक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व प्रबंधतंत्र का है. बैंक द्वारा जहां कहीं आवश्यक है, वहां स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत किए एवं रखे गए संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने की जम्मेदारी हमारी है.
3. हमने सचिवीय अभिलेख के सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासनों को पाने के लिए जो भी समुचित है सभी प्रक्रियाएं एवं व्यावहारिकताओं का अनुपालन किया है. सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए जांच आधार पर सत्यापन किया गया है. सचिवीय एवं हमें दिए गए अन्य अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए जांच आधार पर सत्यापन किया गया है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाए गयी प्रक्रियाएं एवं व्यावहारिकता सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य हेतु उचित आधार प्रदान करता है.
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की जांच नहीं की है.
5. जहां कहीं भी आवश्यक था, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विधि, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं परिणामों के लिए हमने प्रबंधतंत्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है.
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही क्षमता अथवा प्रभाविता है जिसके साथ प्रबंधतंत्र ने बैंक के कार्य किए हैं.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया
एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019
स्थान : मुम्बई

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सचिविय अनुपालन रिपोर्ट

[सेबी परिपत्र सं. आईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार]

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

1. हमने जांच की है:

 (ए) हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण ("सूचीबद्ध इकाई"), पैरा 2 इन्फ्रा के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट विनियमों के अनुपालन में है.

 (बी) उपरोक्त के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध संस्था द्वारा दाखिला / प्रस्तुतिकरण दिया गया है.

 (सी) सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट,

 (डी) कोई अन्य दस्तावेज / दाखिला, जैसा कि प्रासंगिक हो सकता है, इस प्रमाणीकरण को बनाने के लिए विश्वास में लिया गया है,

 दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ("समीक्षा अवधि") प्रावधानों के संबंध में अनुपालन :

 (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; तथा

 (बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश जारी किए गए;

2. विशिष्ट विनियम, उसके प्रावधान और इसके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्र / दिशानिर्देश, जांच किया गया, शामिल:-

 (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

 (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला) विनियम, 2018;

 (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

 (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

 (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

 (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

 (जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013;

 (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

 और उपरोक्त जांच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरान:

 (ए) सूचीबद्ध इकाई ने इसके अंतर्गत जारी किए गए उपरोक्त विनियमों और परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूति बायबैक एवं गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों से संबंधित कोई भी लेन-देन जारी न होने की स्थिति में, यहाँ उल्लेखित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन नहीं करना है.

 (बी) सूचीबद्ध इकाई ने इसके अंतर्गत जारी किए गए उपरोक्त विनियमों और परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, क्योंकि यह हमारे द्वारा उन अभिलेखों की जांच में प्रकट होता है।

 (सी) इसके अंतर्गत जारी किए गए उपर्युक्त अधिनियमों / विनियमों एवं परिपत्र / दिशानिर्देश के तहत या तो सेबी द्वारा अथवा स्टॉक एक्सचेंजों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं सहित) द्वारा सूचीबद्ध इकाई / उसके प्रवर्तकों / निदेशकों / सामग्री अनुषंगियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी.

 (डी) इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की अधिसूचना के बाद से यह पहली रिपोर्टिंग है, पिछली रिपोर्टों में किए गए टिप्पणियों के अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्टिंग नहीं होती थी.

कृते आर.एस.पाडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-

राजश्री पाडिया
एफसीएस : 6804: सीपी: 7488

दिनांक 13/05/2019
स्थान : मुम्बई

प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए : आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2018-19 में भारत में आर्थिक विकास की गति कुछ धीमी रह सकती है. लेकिन देश अभी भी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार (फरवरी 2019 में जारी), वर्ष 2018-19 में वास्तविक जीडीपी की सामान्य वृद्धि 7% पर रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 7.2% थी. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2019 के अनुमानों के अनुसार, ब्रेक्सिट अनश्चितताओं, व्यापार शुल्कों में वृद्धि, चाइनीज पुनर्संतुलन, यूरोजन में धीमी वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वैश्विक उत्पादन घट गया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2019 के अनुमानों के अनुसार उच्च अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि की दर वर्ष 2018 के 2.2% के मुकाबले वर्ष 2019 में 1.8% रहने का पूर्वानुमान है , और 2020 में इसके 1.7 % से अधिक नरम रहने का अनुमान है.

वर्ष 2018 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2.9 % की प्रभावपूर्ण वृद्धि हुई. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से वर्ष 2019 में 2.3 % और वर्ष 2020 में 1.9 % तक रहने का अनुमान है. (आइएमएफ, अप्रैल 2019). सरकार की कामबंदी से विकास पर असर पड़ा है. यूस फेड ने वर्ष 2018 में कई बार ब्याज दर में वृद्धि की थी. हालांकि विकास की प्रवृति में अपेक्षाकृत सुस्थिर मौद्रिक नीति रूख देखने की उम्मीद है. आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो के द्वितीय अनुमान के अनुसार अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मार्च 2019 में 3.1% की वृद्धि हुई जबकि दिसम्बर 2018 तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 2.2% की वास्तविक वृद्धि हुई थी. दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 तक अमेरिका में मुद्रास्फीति 2% से नीचे के स्तर पर बनी हुई थी. मार्च 2019 में बेरोजगारी की दर 4% से नीचे आ गई थी, जो श्रम बाजार की स्थितियों में निरंतर सुधार का संकेत था. मार्च 2019 में औद्योगिक उत्पादन में 2.8% की वृद्धि हुई. व्यक्तिगत उपभोग व्यय में भी मामूली वृद्धि प्रदर्शित हुई और पिछले कुछ महीनों मे व्यापार तनाव के कारण निर्यात में वृद्धि दर धीमी रही.

वर्ष 2019 में यूरोजोन में वृद्धि 1.3% की दर से अनुमानित है (आईएमएफ, अप्रैल 2019) जबकि 2018 में यह 1.8% थी. जर्मनी में विकास वर्ष 2017 में 2.5% से वर्ष 2018 में 1.5% रहा जो कि मंद औद्योगिक वृद्धि और निजी खपत में कमी आने के कारण हुआ. वर्ष 2019 में अन्य प्रमुख यूरोजन अर्थव्यवस्थाओं जैसे- फ्रांस, स्पेन एवं इटली में भी वृद्धि दर मामूली रहने की उम्मीद है.

वर्ष 2017 में जापानी अर्थव्यवस्था के 1.9 % की मजबूत दर से बढ़ने के बाद वर्ष 2018 में यह 0.8% की धीमी वृद्धि दर तक आ गई और 2019 में इसके 1%की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है (आईएमएफ, अप्रैल 2019), जो मुख्य रूप से राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण है.

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीनी अर्थव्यवस्था मार्च 2019 में 6.4% बढ़ी जो दिसम्बर 2018 से अपरिवर्तित थी. चीन में आर्थिक गतिविधियां विनिर्माण पीएमआई द्वारा सांकेतिक रूप में अप्रबल रहीं, जो दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक लगातार तीन महीनों के लिए संकुचित रही और मार्च 2019 में इसमें मामूली वृद्धि हुई. वर्ष 2018 में 6.6% की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2019 में जीडीपी 6.3%की दर से बढ़ने का अनुमान है (आईएमएफ, अप्रैल 2019).

द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार; भारत का औद्योगिक मूल्य वर्ष 2017-18 में 5.9% से बढकर वर्ष 2018-19 में 7.7% हो गया. वर्ष 2017-18 में कृषि विकास दर 5% से वर्ष 2018-19 में 2.7% (द्वितीय अग्रिम अनुमान) तक कम हो गई. सेवा क्षेत्र में 2017-18 में 8.1% से 2018-19 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में 7.4% की वृद्धि दर्ज की थी.

वर्ष 2018-19 में मुख्य उद्योगों में समग्र विकास दर 4.3% रही, जो वर्ष 2017-18 से अपरिवर्तित थी. दूसरी ओर अप्रैल - फरवरी 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर अप्रैल-फरवरी 2017-18 के दौरान 4.3% थी.

मार्च 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5 महीने के उच्चतम स्तर 2.86% पर दर्ज की गई. वर्ष 2018-19 में पूरे वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की दर में 3.4% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 3.6% थी.

वर्ष 2019-20 के लिए फरवरी 2019 में प्रस्तुत अंतरिम केन्द्रीय बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, कुल व्यय ₹2784200 करोड़ अधिकीलित किया गया है. जो कि वर्ष 2018-19 में ₹2457235 करोड़ (आरई) था. वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19(आरइ) के समान जीडीपी का 3.4% रखा गया है.

बैंकिंग उद्योग

बैंकिंग उद्योग ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसम्बर 2018) के अनुसार मार्च 2018 से सितम्बर 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल एनपीए अनुपात के साथ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार दिखाया है. मार्च 2018 के स्तर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि में भी सुधार हुआ है. बैंकिंग उद्योग को सहारा देने के लिए सरकार ने कई पहल की है. सरकार द्ववारा जारी पुनर्पूंजीकरण बांड बैंकिंग उद्योग को मजबूती प्रदान करेंगे.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹467584 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा ₹472323 करोड़ था. उच्च लागत जमा दिनांक 31 मार्च, 2019 को घटकर ₹ 57 करोड़ हो गई है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2018 को यह ₹850 करोड़ थी.

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3127 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ 2733 करोड़ था. बैंक ने बढ़े हुए प्रावधानों के कारण वर्ष 2018-19 में ₹ 5641 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5105 करोड़ थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की सकल जमा ₹ 299855 करोड़ रही, जो ₹793 करोड़ की उच्च लागत जमाओं में हुई कमी के पश्चात थी. बचत जमा वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹122139 करोड़ हो गई, जो 10.52 % की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 110509 करोड़ थी तथा चालू जमा वर्ष 2018-19 में ₹16416 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में यह ₹ 14687 करोड़ थी. जो 11.77%की वृद्धि दर्शाती है. दिनांक 31 मार्च 2019 को कुल जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी बढ़कर 46.21% हो गई, जो कि दिनांक 31 मार्च 2018 को 42.46% थी. कोर सावधि जमा, वर्ष 2018 -19 में 4.77% की कमी के साथ ₹ 161243 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह ₹ 169343 करोड़ थी.

बैंक में भारतीय लेखांकन मानक का क्रियान्वयन एवं कार्य-योजना

कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित मूल रोड मैप के अनुसार सभी बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक को छोडकर) दिनांक 1 अप्रैल, 2018 के प्रारंभ से अब तक की लेखांकन अवधि के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि अथवा उसके पश्चात के लिए तुलनात्मक लेखांकन के लिए अपनी वित्तीय विवरणियाँ भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार करनी होगी. बैंक एक भारतीय लेखांकन मानक सलाहकार, संस्थापित कोर भारतीय लेखांकन टीम की सेवायें ले रहा है और भारतीय लेखांकन मानक को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है. प्रगति की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अगुवाई में एक संचालन समिति स्थापित की गई है. निदेशक मंडल और बोर्ड की लेखा समिति भारतीय लेखांकन मानक की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है.

दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को भारिबैं ने अपने विकास और विनियामक नीतियों से संबंधित विवरणियों में यह उल्लेख किया है कि बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप में आवश्यक विधायी सुधार किए गए हैं, जो सरकार के विचाराधीन है. इसके आलोक में, और कई बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए भी बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन को भारिबैं द्वारा, अपेक्षित आवश्यक विधायी परिवर्तन तक, एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब से, बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन हेतु संशोधित समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा उसके पश्चात समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक लेखांकन सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होगी. हॉलांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना के माध्यम से कहा कि भारिबैं द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन है. तदनुसार भारिबैं द्ववारा यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित रखा जाए. भारिबैं के निर्देशानुसार बैंक जून 2018 से भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण का प्रारूप नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहा है.

ऋण

बैंक का सकल अग्रिम दिनांक 31 मार्च, 2019 को ₹167729 करोड़ रहा , जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹177484 करोड़ था. यह वर्ष दर वर्ष 5.50% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है.

ऋण निगरानी विभाग

बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अत: इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई,

आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण विनियोजन ₹ 83201 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 366 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एएनबीसी से ऊपर अतिरिक्त ऋण का फायदा उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन आरंभ किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत ₹ 27436 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की बिक्री की है और एमएसएमई पोट्फोलियो के अंतर्गत ₹ 5885 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की खरीद की है. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री 21551 करोड़ थी. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आरआईडीएफ का ₹4907.27 करोड़ बकाया है. जिसमें दिनांक 31.03.2019 तक कृषि के तहत ₹3075.97 करोड़ है.

एमएसएमई विभाग:

सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत निष्पादन:

- सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत खातों की संख्या में बैंक ने 20.24% की वृद्धि हासिल की है.
- एमएसई के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण का प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के बिना 37.96%,पीएसएलसी के साथ 48.65% है.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 483 खातों में ₹ 35.62 करोड़ के दावों का निपटान हुआ. खातों के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में अनुमोदित दावे 46.79% है. राशि के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत दावे 32.12% है.
- पीएमएमवाय के अंतर्गत वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य में हमारे बैंक की उपलब्धि 58.28% है. 31 मार्च 2019 को नये संवितरण के अंतर्गत ₹3,550 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष हमारे बैंक की उपलब्धि ₹2,069 करोड़ है.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2019 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 48,666 करोड़ थी. बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 29.01% है. पिछले वर्ष की तुलना में रिटेल में 1.13% की वृद्धि हुई.

	31.03.2015	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2019**
रिटेल ऋण	34939	38505	32008	48123	48666
कुल ऋण	194967	190152	153008	177484	167729
कुल ऋण में रिटेल का%	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%	29.01%

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 71 प्राधिकृत डीलर ('बी' श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- दिनांक 31.03.2019 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो कम होकर ₹ 5,314 करोड़ हो गया, जो दि. 31.03.2018 को ₹ 5,694 करोड़ था.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 42,995 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 42,332 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2018 को ₹ 4,764 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को ₹ 4,941 करोड़ हो गयी, जो गत वर्ष की तुलना में 3.72% की वृद्धि दर्शाती है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2018 को यूएसडी 220.83 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2019 को यूएसडी 226.73 मिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.67% की वृद्धि दर्शाती है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2019 को बढ़कर ₹ 1,29,219 करोड़ हो गया है, (गैर-एसएलआर, गैर-अंतरण भारत सरकार पुन:पूंजीकरण बॉड ₹11,427 करोड़) जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 1,05,295 करोड़ था, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22.72% की वृद्धि दर्ज हुई. दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2018 के 7.40% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2019 को 7.35% पर बंद हुआ है.

- वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में दो बार जून और अगस्त 2018 में 0.25% की बढ़ोतरी की और फरवरी 2019 में 0.25% घटा कर प्रभावी रूप से रेट को 6.25% लाया गया एवं पॉलिसी रेट कॉरिडोर 0.5% से कम करके 0.25% किया गया. इसके परिणामस्वरूप बैंक रेट बढ़कर 6.50% हो गया.

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से क्रेडिट, मार्केट और परिचालन जोखिम तथा पिलर II जोखिमों के तहत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/प्रथाओं की देखरेख करती है. समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है और बाजार के विकास के सापेक्ष जोखिम वाले मॉडल का आकलन करती है और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी करती है. समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मानकों के अनुपालन की निगरानी करती है.

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आईसीएएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है. बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बासल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी अनुपात रखने का उद्देश्य है. पूंजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

पूंजी पर्याप्ता सुधार के लिए कार्य योजना

बासल III के विनियमों के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम 5.50% अनुपात में कॉमन इक्विटी टीयर -1 (सीईटी 1) एवं 2.5% का पूंजी संवहन बफर (सीसीबी) इक्विटी पूंजी के रूप में टीयर 1 अनुपात 9.50% एवं कुल सीआरएआर 11.50% बनाये रखने की आवश्यकता है. बैंक को चालू आधार पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी. बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है -

I- बैंक ₹ 5,000/- करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़ मात्र) तक की इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भा.रि.बैं.और अन्य विनियामक संस्थाओं के अनुमोदन और सेबी(आईसीडीआर) विनियमों सहित सभी लागू विनियमों के अनुसार में विभिन्न माध्यमों जैसे कि पब्लिक इश्यू के फॉलो ऑन, राइट्स इश्यू, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन सहित प्राइवेट नियोजन इत्यादि के माध्यम से उगाही करना चाहता है. वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होगा.

II- बैंक सचेत रूप से ऋण जोखिम आरडब्ल्यूए/ कुल अग्रिम अनुपात को मार्च 2018 में 80.34% से मार्च, 2019 में 71.91% तक नीचे लाया है. बैंक पूंजी बढ़ाने के बहुत से उपायों को अपनाने के द्वारा आरडब्ल्यूए को कम करने के लिए प्रयासरत है.

i. बैंक ने अपना ध्यान कॉर्पोरेट ऋण से हटाकर रैम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) पर केंद्रित किया है. हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियों मार्च 2019 में 31% हो गया है जो मार्च 2018 में 37% था.

ii. कॉर्पोरेट ऋण बही के संबंध में, बैंक बीबी और निम्न मूल्यांकित उधारकर्ताओं के एक्सपोजर में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, क्योंकि इनकी उच्च जोखिम भारिता है. इसके परिणामस्वरूप बीबी और निम्न मूल्यांकित उधारकर्ताओं के लिए बैंक का एक्सपोजर मार्च 2018 में कुल कॉर्पोरेट अग्रिम के 44% से कम होकर मार्च 2019 में 34% हो गया.

iii. रिटेल खंड में, बैंक आवास ऋण, गोल्ड ऋण, शैक्षिक ऋण, सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटीकृत ऋण इत्यादि में एक्सपोजर बढ़ाने के द्वारा निम्न आरडब्ल्यूए पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

iv. एनपीए खातों के समाधान की ओर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से, बैंक पर्याप्त वसूली और अर्जक आस्तियों के लिए एनपीए के अपग्रेडेशन को सुनिश्चित करेगा जो कि प्रावधानों में आवश्यक प्रतिलेखन होगा, जिसके चलते टीयर 1 पूंजी में सुधार होगा.

v. वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारा ध्यान उपार्जन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण अग्रिम और निवेश को सुरक्षित करने के लिए केंद्रित होगा जिससे टीयर 1 पूंजी में सुधार होगा.

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्त्ता शामिल है. अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. बैंक ने चौथी तिमाही में गैर विवेकाधीन और गैर भेदभावपूर्ण (एनडीएनडी) एकबारगी समझौता योजना (ओटीएस) की शुरूआत की है ।

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, यदयपि बैंक ने ₹ 5,718 करोड़ की नकद वसूली (बट्टे खातों में ₹ 557 करोड़ की वसूली शामिल है) और ₹ 567 करोड़ का अपग्रेडशन कुल मिलाकर ₹ 6,285 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50 करोड़ एवं अधिक के कुल 27 खाते राशि ₹ 3,180 करोड) के जुड जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है.

 - सकल एनपीए का स्तर 31.03.2019 में घटकर ₹ 32,356 करोड़ हो गया जो कि 31.03.2018 में ₹ 38,131 करोड़ था अर्थात 31.03.2019 में ₹ 5,775 करोड़ की कमी हुई है.
 - शुद्ध एनपीए 31.03.2019 में घटकर ₹ 11,333 करोड़ हो गया जो कि 31.03.2018 को ₹ 17,378 करोड़ था अर्थात दिनांक 31.03.2019 को 6,045 करोड़ की कमी हुई है.
 - सकल एनपीए प्रतिशत और शुद्ध एनपीए प्रतिशत में कमी हुई है जो कि क्रमश: 21.48 % से 19.29% और 11.10% से 7.73% हो गया.
 - वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 2,403 करोड़ की तुलना में नकद वसूली में पर्याप्त बढ़ोतरी होकर वित्तीय वर्ष 2019 में ₹ 5,161 करोड़ (114.77%) हो गई.
 - वित्तीय वर्ष 2018 में ₹ 410 करोड़ की तुलना में बट्टे खातों में नकद वसूली में बढ़ोतरी होकर वित्तीय वर्ष 2019 में ₹ 557 करोड़ (35.85%) हो गई.

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकमुश्त निपटान समझौता योजना (ओटीएस) आरंभ की गई. इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान किया गया. वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकमुश्त निपटान समझौता योजना (ओटीएस) के माध्यम से ₹ 1,425.66 करोड़ की नकद वसूली हुई.

3. वर्ष के दौरान बैंक ने अस्ति वसूली कंपनियों (एआरसी) को 06 एनपीए खाते 100% नकद के अंतर्गत स्विस चुनौती पद्धति के अंतर्गत बेचे गए, जिसके अंतर्गत ₹ 1,405.55 की एनपीए में नकद वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,618 करोड़ की एनपीए में कमी हुई एवं ₹ 540.66 करोड़ के प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया.

4. वर्ष 2018-19 में एनपीए खातों में वसूली को अत्यधिक महत्व दिया गया. हमारे कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर एनपीए के संचालन पर कडी निगरानी रखी गई. समीक्षा बैठक के दौरान कानूनी कार्रवाई तथा सरफेसी के अंतर्गत कर्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की नियमित आधार पर समीक्षा की गई और क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं आंचलिक प्रबंधकों से मासिक आधार पर विडियो कांफ्रेंसिंग की गई.

5. ₹ 5.00 करोड़ से ऊपर के सभी एनपीए खातों की चर्चा फील्ड फंक्शनरियों से की जाती है. तदनुसार आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं. क्षेत्रीय प्रबंधको, आंचलिक प्रबंधकों द्वारा खातों में वसूली की कार्रवाई शुरू की जाती है. मासिक आधार पर आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में एनपीए खातों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है. खाते नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केन्द्रीय कार्यालय में आंचलिक समन्वयक को सौपें जाते हैं.

6. प्रतिदिन वसूली शिविर आयोजित किए जाते हैं, इन शिविरों में बट्टे खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा है.

7. वसूली प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आस्ति वसूली शाखाओं (एआरबी) पर कडी निगरानी रखी जा रही है.

8. क्षेका/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है.

एनपीए प्रबंधन के लिए कार्य योजना

एनपीए प्रबंधन बैंक का प्रमुख फोकस क्षेत्र है. हमारा जोर नकद वसूली, अपग्रेडेशन, समझौता निपटान और अन्य वसूली उपायों के माध्यम से एनपीए में कमी लाने हेतु निम्नानुसार होगा :

- एनपीए स्तर को कम करने के लिए बैंक ने डीए 1, डीए 2, डीए 3, हानि खाते एवं ₹ 10 करोड़ तक के बकाया राशि के साथ पीडब्ल्यूओ/टीडब्ल्यूओ खातों के लिए नए गैर विवेकाधीन/भेदभावरहित (एनडीएनडी) विशेष ओटीएस योजना 2019-20 का शुभारम्भ किया है.
- सभी एनपीए खातों को कवर करते हुए ओटीएस तरीके पर आधारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर भी फोकस रहेगा.
- स्विस चैलेंज पद्धति के अंतर्गत एनपीए खातों की एआरसी को बिक्री.
- एनसीएलटी/आईबीसी 2016 के माध्यम से प्रस्ताव
- कर्ज की पुनर्संरचना जहां इकाईयां व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है.
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए खातों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है.
- बट्टे खाते में वसूली पर जोर.
- इरादतन चूककर्ताओं/ गैर सहयोगी उधारकर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई.
- समयबद्ध तरीके से डीआरटी के माध्यम से वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना.
- नियमित अंतराल पर एनपीए सेक्टोरल/पोर्टफोलियों समीक्षा.

बैंकाश्यूरेंस :

- जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 20,883 पॉलिसियाँ एवं 176 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने ₹ 74 करोड़ प्रीमियम सहित 1,86,065 पॉलिसियाँ संग्रहित की हैं.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 20.61 करोड़ की हुई है.

डिपॉजिटरी सेवाएं :

बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत एक डिपॉजिटरी सहभागी है. सभी परिचालन केन्द्रीयकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूँजी बाजार सेवा शाखा द्वारा ये सेवाएँ प्रदान की जा रही है. मुख्य केंद्रों पर स्थित शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं. बैंक के पास करीब 28585 डी-मैट खाता धारक है.

कैपिटल मार्केट सेवा शाखा, मुंबई आस्बा, डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंटों का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी पूंजी बाजार संबंधी सुविधायें प्रदान करती है. यह डीमैट तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है.

सूचना प्रौद्योगिकी

दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीयकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है. बैंक ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक दक्षता एवं त्वरित सेवाएं देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है. इंटरनेट बैंकिंग अब सात भाषाओं, यथा अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली एवं कन्नड़ में उपलब्ध है. सेन्ट मोबाइल बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है. उपयोगकर्ता मोबाइल के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. तदनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान 4659 शाखाओं में से 4449 आरबीआईए के अधीन थी एवं शाखाओं को वर्ष 2018-19 के दौरान रेटिंग दी गई. दिनांक 31.03.2019 को 3106 शाखाएं, मध्यम जोखिम रेटिंग में, 1449 शाखाएं, न्यून जोखिम रेटिंग में एवं 90 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में एवं 3 शाखाएं बहुत उच्च जोखिम रेटिंग के अंतर्गत हैं. बैंक की कोई भी शाखा अत्यधिक उच्च जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं.

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2019 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4659 शाखाएं हैं, 3966 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं. देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों, एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों एवं 707 जिलों में से 635 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है.

परिचालन

- बैंक द्वारा विस्तारित किए गए आधुनिक कॉल सेंटर उत्पादों के प्रमोशन / ग्राहकों को उनके ऋण खाता में अधिशेष इत्यादि संबंधी अनुस्मारक के लिए निर्गामी कॉल के अतिरिक्त ग्राहकों की शिकायतों / शंकाओं के समाधान के लिए आवक कॉल सुविधा उपलब्ध करा रही है.
- सोविनियर गोल्ड बॉन्ड्स के लिए ऑन लाइन अंशदान सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करायी गयी है.
- पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली में सुरक्षा, शुद्धता एवं स्पीड को बेहतर बनाने के लिए नया पेंशन सॉफ्टवेयर - जीवीएम - पेन्शन मॉड्यूल आरंभ किया गया है. यह पेंशनरों को भुगतान विवरण एवं संशोधनात्मक लाभों के संबंध में एसएमएस उपलब्ध करायेगा.
- भारत सरकार के बैंकिंग सुधार के लिए रोड मैप के अनुसार, ग्राहकों की आसानी के लिए संशोधित सरलीकृत खाता खोलने का फॉर्म (सीआईएफ एवं एओएफ – व्यक्तिगत / वैयक्तिक) आरंभ किया गया है.
- समाशोधन के चेक नामे करने के पूर्व ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जा रहे हैं. विवादित चेक के मामलों में, ग्राहकों को होम शाखा से अथवा कॉल सेन्टर 1800221911 पर संपर्क करना है.
- वरिष्ठ नागरिकों तथा विशेष विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा :-

 हमने ग्राहकों के लिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिक है , डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरूआत कर अतिरिक्त दूरी का सफर तय किया है. शुरूआत के लिए हमने उचित सेवा शुल्क पर निम्नलिखित सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं :

 नकदी लेने हेतु तथा खाते में क्रेडिट करने के लिए रसीद के खिलाफ लिखत, खाते में निकास के खिलाफ नकद की डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट की डिलीवरी, अपने ग्राहक को जाने (केवायसी) दस्तावजों को प्रस्तुत करना तथा ऐसे ग्राहकों के परिसर/निवास पर जीवन प्रमाण-पत्र, फार्म नं. 15 एच, अन्य बुनियादी बैंक सेवायें जैसे चेक बुक का वितरण. यह सेवाएँ होम शाखा के 3 किलोमीटर क्षेत्र के घेरे के भीतर प्रदान किये जायेंगे. सेवा शुल्क प्रति अवसर ₹ 50/- है.
- अब ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में लघु बचत स्कीम जैसे पीपीएफ / वरिष्ठ नागरिक बचत योजना / सुकन्या समृद्धि खाता / केवीपी के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं.
- ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता है, निपटान समय घटकर 10 दिन हो गए हैं.
- सीकेवायसीआर का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा और हम वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरा करने की योजना बना रहे हैं.

राजभाषा :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण

राज्य स्तरीय पुरस्कार:

- तेलंगाना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया.

गृह मंत्रालय के पुरस्कार

- दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को 'हिंदी दिवस' के सुअवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'हिंदी दिवस समारोह 2018' कार्यक्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत हमारे बैंक द्वारा संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), भोपाल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

- भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भाषिक क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत हमारे मुम्बई आंचलिक कार्यालय को "प्रथम" और भाषिक क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत पणजी क्षेत्रीय कार्यालय को "प्रथम" पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.
- हमारे द्वारा संचालित पणजी नराकास को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रथम" पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरुकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा फील्ड स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे. अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन, शिकारा, में ब्रेंडिंग की गई. इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, सिनेमा में विज्ञापन का भी उपयोग किया गया.

सतर्कता

1 प्रणालीगत सुधार :

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए :

ए) स्विफ्ट मेसेजिंग पद्धति सीबीएस के साथ एकीकृत है तथा स्विफ्ट में सभी प्रविष्टियों को अब सीबीएस/एफX24 प्लेटफार्म के माध्यम से किए जाते हैं.

बी) कार्यान्वयन के तहत खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण के लिए मौजूदा क्लास माड्यूल में सुधार.

सी) प्रभावी निगरानी के लिए एवं रोकथाम टूल्स के रुप में, आ रहे आरटीजीएस / एनईएफटी रिपोर्ट उसी दिन उपलब्ध होंगे.

2. सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2018 :

सीवीसी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, "सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2018" इस वर्ष की थीम "नया भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार खत्म करो" के साथ दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक हमारे बैंक में पूर्ण निष्ठा के साथ मनाया गया. दिनांक 29.10.2018 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों द्वारा शपथ ली गयी. इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे सभी 13 आंचलिक कार्यालयों, 59 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बैंक की शाखाओं तथा हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मनाए गए.

हमारे बैंक ने ग्राहकों और स्टाफ को ई-शपथ लेने में समर्थ बनाने के लिए सीवीसी की वेबसाइट को हाइपरलिंक किया है.

बैंक ने 24.20 मिलियन ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जिसके चलते सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान सत्यनिष्ठा की प्रति%ाा लेने के लिए सीवीसी साइट के लिए हाइपरलिंक उपलब्ध कराया गया.

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में जहां ई-शपथ लेने के लिए तकनीकी खामियां थी, ग्राहकों के साथ आम लोगों के लिए सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया. कुल 7,42,000 जनसमूह की प्रतिज्ञा को सीवीसी साइट पर अपलोड करने में बैंक पूरी तरह सफल रहा.

मानव संसाधन विकास

मानव-शक्ति :

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 35,675 हो गई है जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 36,843 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019
अधिकारी वर्ग	16247	17166	16868
लिपिक वर्ग	13001	12300	11766
अधीनस्थ वर्ग	7796	7377	7041
कुल योग	37044	36843	35675

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

I. **सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड**

- मार्च 2019 को शुध्द स्वामित्व निधि ₹ 111.57 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च 2019 को वर्ष के दौरान कंपनी का कुल अग्रिम ₹1270.79 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹1266.09 था.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं ₹ 482.33 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2018 को यह ₹ 542.84 करोड़ था.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 को कंपनी का शुद्ध लाभ ₹16.28 करोड़ हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 को यह ₹16.84 था.
- प्रति शेयर आय ₹ 6.51 (₹ 10 प्रति शेयर) [गत वर्ष ₹ 6.73] रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2019 के वर्ष समाप्ति में एनपीए ₹ 27.97 करोड़ रहा, जो दिनांक 31 मार्च 2018 के वर्ष समाप्ति में ₹ 26.90 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2019 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.26% है.
- आस्तियों पर प्रतिफल 1.26% है. [गत वर्ष 1.26%]
- दिनांक 31 मार्च, 2019 को सीएआर 17.88% है.

II. **सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड**

- सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यत: न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- कंपनी ने 31 मार्च 2019 के वर्ष समाप्ति में ₹ 2.70 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष 31 मार्च, 2018 के वर्ष समाप्ति में ₹ 2.58 करोड़ था.
- खंडवार अर्जन :

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
निष्पादक न्यास से शुल्क	43,24,805	34,85,414
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास से शुल्क	2,70,82,673	2,90,70,143
अन्य आय (ब्याज)	2,51,22,941	2,81,65,842
कुल	**5,65,30,419**	**6,07,21,398**

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएस ₹ 541.00 है जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 517.60 था.

iii. **इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड**

- जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है.
- बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.

- दिसम्बर 2018 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है.
- पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 24,21% एवं अग्रिमों में 34.00% वृद्धि हुई है.
- कैलेंडर 2018 में बैंक को 139.76 एमआईओ क्वाचा (₹ 80.65 करोड़) का शुद्ध लाभ हुआ है.

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2019 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है.

(₹ करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम तथा राज्य	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/455	–	–	–	–
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	15499.85	8101.59	2282.47	16.78
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (प.बंगाल)	5/142	3014.96	1713.47	158.40	10.98
कुल	**48/1629**	**18514.81**	**9815.06**	**2440.87**	**27.76**

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी) का विलय बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ किया जा रहा है.

पुरस्कार एवं सम्मान

- बैंक के कार्यनिष्पादन को को पहचानने के लिए नेतृत्व पूँजी तथा देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में योजना को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए बैंक को वित्तीय सेवाये विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के विभाग से अटल पेंशन योजना पुरस्कार प्राप्त हुआ.
- सब से अधिक नवोन्मेष उत्पाद श्रेणी के लिए बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सम्मानित किया गया.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.
- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान)योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है.
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.
- समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2018-19 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री तपन राय	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	23.05.2018 से	निरंक	वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीक, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन	आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, आरसी, एचआर, एनसी	आरएमस, एलवीएफसी एसआरसी, आरसी, एचआर, एनसी	निदेशक	जी हां
2.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से 22.05.2018	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -एक्जिम बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन -इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस	जी हां

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
		प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	23.05.2018 से 31.07.2018			एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी		
3.	श्री पल्लव महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	21.09.2018 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	(1)एनआईबीएम के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (2)आईआईबीएफ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य (3)आईआईबीएम, गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
4.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से 22.1.2019 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	लागू नहीं	जी हां
5.	श्री पी रमण मूर्ति	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. -न्यू इंडिया एश्युरेन्स कं. लि.	जी नहीं

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
6.	श्री बी एस शेखावत	कार्यपा लक निदेशक	09.10.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	सेन्ट बैंक फाइनैंसियल सर्विसेस लि.	जी हां
7.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपा लक निदेशक	23.01.2019 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
8.	श्री गोविंद मोहन	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	17.08.2017 से 14.05.2018 तक	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, बीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी, नामांकन	लागू नहीं	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
9.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	14.05.2018 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, बीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन, आईटीएस	निरंक	आईएफसीआई	जी नहीं
10	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, बीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2019 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2019 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2018 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थित थे
						सदस्य	अध्यक्ष		
11	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2018 तक	163	सनदी लेखाकार	एमसीबी, आईटीएस, एसआरसी, आरएमसी, सीएससी, एचआर, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	आईटीएस एसआरसी	लागू नहीं	जी नहीं
12	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 से	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, सीएससी, नामांकन, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी, सीसी	एसीबी, आईटीएस, सीसी	निरंक	जी हां
13	डॉ. आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	27.12.2017 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी आरएमसी, नामांकन, सीसी	निरंक	पीटीसी इंडिया लि.	जी नहीं
14	श्रीमती मिनि आईप	शेयरधारक निदेशक	01.07.2018	100	वित्त	एमसी, आरएमसी, एसआरसी, एमआरसी, सीसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी - स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति

आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी	-	पूंजी उगाही समिति
नामांकन	-	नामांकन समिति
आरसीएनसीबी	-	उदघोषित गैर सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
सीआरआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति
सीसी	-	क्षतिपूर्ति समिति

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2019 को इस समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 2 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, तथा 1 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं, एक पद रिक्त है. अंशकालीन निदेशक का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 20 बैठकें आयोजित की गई.

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते इत्यादि के प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन, ऋण, खाते/वित्त पोषण एवं वसूली शामिल हैं. वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 21 बैठकें आयोजित की गई.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. 31.03.2019 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामांकित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित वितीय परिणामों की भी समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती है. वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें आयोजित की गई.

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डॉ. गांगुली समूह के रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिमों की गणना करना एवं जोखिमों के स्तर को निर्धारित करना जो बैंक के हित के लिए अच्छा हो तथा बैंक के परिचालनों से सृजित हो रहे जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं पैमाना निर्धारित करने के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन संस्थानों से समन्वय स्थापित करना. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई.

पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है.
- गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को दिनांक 17.01.2019 तक मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 20,000/- बैठक फीस एवं इसके पश्चात निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए ₹ 40,000 तथा इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 17.01.2019 तक ₹ 10,000/- एवं उसके पश्चात ₹ 20,000 बैठक फीस का भुगतान किया जाता था. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक को दिनांक 1 अगस्त, 2018 से बैठक फीस का भुगतान किया जाता है क्योंकि दिनांक 31.07.2018 को भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए थे. निदेशक मण्डल और समितियों के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, क्रमश:₹ 10,000 एवं ₹ 5,000 की अतिरिक्त बैठक फीस का भुगतान किया गया था.
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री पल्लव महापात्र, (एमडी एवं सीईओ)	14.68
2.	श्री राजीव ऋषि, (सीएमडी/ एमडी एवं सीईओ)	39.50
3.	श्री बी. के. दिवाकर,(कार्यपालक निदेशक)	46.55
4.	श्री पी. आर. मूर्ति, (कार्यपालक निदेशक)	24.98
5.	श्री बी. एस. शेखावत, (कार्यपालक निदेशक)	24.47
6.	श्री आलोक श्रीवास्तव, (कार्यपालक निदेशक)	4.60

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 19,10,000/- (रुपये उन्नीस लाख दस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 19,95,000/- (रुपये उन्नीस लाख पंचानबे हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं. बीसीनं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात (i) शैक्षिक योग्यता, (ii) अनुभव एवं विशेषज्ञता का क्षेत्र एवं (iii) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(कों)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले है, की 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, शेयर धारक निदेशक - श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रोपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 17.05.2018 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री केतुल आर. पटेल 'फिट एवं प्रोपर स्थिति' में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1070 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं.

शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. दिनांक 5 मई, 2018 तक श्री केतुल पटेल शेयरधारकों की संबंध समिति

की अध्यक्ष थे. तथापि, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति के अनुवर्ती, इस समिति के अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष ही है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई.

वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के लिए पत्र	01
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	25
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	40
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	01
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	01
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	05
8	प्राप्त कुल शिकायतें	73
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	73
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव,निर्गम बैंकर एवं डिबेंचर ट्रस्टी गतिविधि के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य की कुल ₹ 6592 करोड़ की 142,90,45,682 इक्विटि शेयर्स (कुल ₹ 2354 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 56.43 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 66.43 की निर्गम मूल्य पर 35,43,57,970 इक्विटी शेयरों, कुल ₹ 1678 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 33.31 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 43.31 की निर्गम मूल्य पर 38,74,39,390 इक्विटी शेयरों एवं कुल ₹ 2560 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 27.25 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 37.25 की निर्गम मूल्य पर 68,72,48,322 इक्विटी शेयरों को समाविष्ट कर) का जारीकरण एवं आबंटन द्वारा ₹ 6592.00 करोड़ इक्विटी पूंजी (दिनांक 19-09-2018 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 2354 करोड़, दिनांक 31-12-2018 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 1678 करोड़ एवं दिनांक 21-02-2019 को बैंक द्वारा प्राप्त ₹ 2560 करोड़ सहित) की उगाही की है.

बैंक ने प्रति इक्विटी शेयर ₹ 17 के प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 27 के निर्गम मूल्य पर कुल ₹ 212,53,38,048 कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों से इक्विटी पूंजी की उगाही भी की है. यह राशि शेयर आवेदन मुद्रा खाता में रखी हुई है, इसके लिए शेयर आबंटन लम्बित है.

बैंक ने निजी नियोजन आधार पर प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के अंकित मूल्य के अपरिवर्तनीय मोचनीय अरक्षित बासल III अनुपालित टियर 2 बॉन्ड्स (सीरीज-III) के वचन पत्र प्रकृति के जारी एवं आबंटित कर ₹ 500.00 करोड़ की उगाही की एवं प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के 5000 बॉन्ड्स आबंटित किए.

पूंजी पर्याप्ता अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है. उगाही गई निधि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया गया है.

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को दोपहर 12.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2019 से 28 जून, 2019 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है.

पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण बॉडी बैठक के आयोजन का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	ग्यारवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2018, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
2.	दसवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2017, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
3.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2019 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II-सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र.I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
बासल III अनुपालित क्र.III	29.03.2019	500.00	आईएनई483A09286
कुल		**4800.00**	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई-400 083
टेली.: 022-49186270
फैक्स: 022-49186060
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022- 6638 7818
फैक्स : 022- 2283 5198
ई-मेलआईडी:agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2019 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	100	127740	0.003
एनएसडीएल	85468	321741261	7.950
सीडीएसएल*	56661	3725332436	92.047
कुल	**142229**	**4047201437**	**100.00**

*दिनांक 28.03.2019 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डीमेटरियलाइड रूप में 68,72,48,322 इक्विटी शेयर आबंटित किए है जो दिनांक 11.04.2019 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीवद्ध एवं स्वीकृत किए गए है. कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 को "**अदावाकृत उचंत खाता**" में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	233	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	निरंक	निरंक

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	233	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 मई, 2019

हस्त/-
[पल्लव महापात्र]
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2018-19 के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

iii. धोखाधडियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(बी.के.सिंघल)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

(पल्लव महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019

प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेस की निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019

एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**
मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), **मुम्बई - 400057**	**एएजेवी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, **नई दिल्ली - 110024**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") की दिनांक 31 मार्च, 2019 की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है, जिसमें समाप्त वर्ष के लिए उक्त दिनांक को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2549 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है. इसके अलावा इनमें उन 2090 शाखाओं के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.75%, जमाओं का 27.61%, ब्याज आय का 5.90% तथा ब्याज व्यय की 25.17% हिस्सेदारी है.
2. हमारे अभिमत में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी एवं हमें प्राप्त व्याख्याओं के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरणियां, भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप तथा बैंकों के लिए अनिवार्य तरीके से बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करती है और:
 ए. तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक की हालत का सही एवं निष्पक्ष प्रदर्शन करती हैं;
 बी. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि एवं लाभ खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है.
 सी. नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अभिमत का आधार

3. हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुन: व्याख्यायित है. नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र है, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है.

मूल लेखापरीक्षा मामले

4. मूल लेखापरीक्षा मामले वे मामले है जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में हमारे व्यावसायिक न्याय में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और

उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते है और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1. ऋण एवं अग्रिम गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत में किया जाए. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. प्रबंधतंत्र ने आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में महत्वपूर्ण निर्णय लिए है, एवं प्राक्कलन के उच्च स्तर और निर्णय में सन्निहित प्रतिभूति के मूल्यांकन, अग्रिमों की मूल कीमत या तो वैयक्तिक या सामूहिक रूप से भौतिक रूप में अपकथित हो सकते है, एवं कुल आस्ति में अग्रिमों के भौतिकत्व को देखते हुए अग्रिमों के वर्गीकरण और उनके प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है. बैंक में ऐसे गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान की गई है जो कि परिचालन में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर द्वारा सिस्टम पहचान प्रणाली पर आधारित है, जो विभिन्न नियंत्रणों और इसमें अंतर्निहित तर्कों पर आधारित है. प्रबंधतंत्र ने आईआरएसी मानदंडों के अनुपालन में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए है और आवश्यक मामलों में पर्याप्त प्रावधान भी किए है.	हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में डिजाइन की जांच के साथ आंतरिक नियंत्रण की परिचालनीय प्रभाविता और मूल लेखा प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है. विवरण में : • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और समझा है; • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और समझा है; मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सीबीएस सिस्टम और प्रबंधतंत्र दोनों के लिए सत्यापित किया है कि (ए) उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तीकरण की समय पर पहचान करना; (बी) ऐसे समय-समय पर निगरानी पर आधारित पर्याप्त प्रावधानीकरण और आस्ति वर्गीकरण की पहचान करना. हम, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं के साथ प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते है. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी विश्वास जताते है. हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणामों के भौतिकता पर विचार करते हुए इसे पर्याप्त और संतोषजनक पाया गया है.
2. निवेश बैंक के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल है जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय के अनुरूप गैर-निर्धारण एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के संगत में किया जाता है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)	निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण भा.रि.बैं. के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ डिजाइन की समीक्षा और जांच, आंतरिक नियंत्रण की परिचालनीय प्रभाविता और मूल्यांकन के संबंध में मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास शामिल हैं. विवरण में, - मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यह्रास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हम बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन करते है और समझते हैं.

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किए जाएंगे जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है. भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण भी शामिल है. इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों के निष्पक्ष निर्धारण द्वारा होता है. इसलिए निवेशों का मूल्यांकन पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उसे हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है.	- भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्कार्यनिष्पादन मूल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता की जांच की गई है. - हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुरूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है. - हम, स्वतंत्र रूप से पुन: परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाते है. हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया का परिणाम लेनदेनों की भौतिकता को देखते हुए पर्याप्त और संतोषजनक पाया गया है.
3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग - हमारे बैंक का परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया और लेनदेनों की वृहद मात्रा के नियंत्रणों के साथ समंवित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है. प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है. बैंक के पास उच्च प्रबंधतंत्र के पर्यवेक्षण एवं आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी कर रहा है. तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण पर केंद्रित है एवं हमारी लेखा में इसे मूल लेखा परीक्षा के रूप में विचार किया जाता है.	हमने मूल्यांकन आयोजित किया और मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया गया. लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है. विवरण में : • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण एवं मूल परिवर्तनों की समझदारी बनाई है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है. • बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के ऊपर मूल आईटी सिस्टम के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणियों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसमें करों के पृथककरण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/ संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है. • हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है. वित्तीय विवरणियों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा सूचनाएं. • हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए हैं.

वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उन पर लेखापरीक्षको की रिपोर्ट

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेवार है. अन्य सूचना मे अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एवं प्रबन्धतंत्र चर्चा और विश्लेषण किंतु इसमें स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है. अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात उपलब्ध हो सकती हैं.

स्टेंडअलोन वित्तीय विवराणियों में हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III प्रकटीकरण शामिल नहीं है, हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे.

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना को जब भी यह उपलब्ध होगी पढ़ना है ऐसा करने में, सोचिए क्या अन्य सूचना स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ विषयी असंगति है अथवा लेखापरीक्षा में हमारी जानकारी ली गई अथवा अन्यथा विषयी अयथार्थ प्रतीत होता है.

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें विषयी असत्य विवरण है, हमें गवर्नेंस के साथ आरोपित मामले को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे.

प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी एवं स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु तथा गवर्नेंस के साथ आरोपित

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन, एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक के नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है. यह जिम्मेवारी है कि स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरन हेतु सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों का पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा आवेदन, निर्णय बना तथा यह अनुमान लगाना कि लेखांकन रिकॉर्ड की स्पष्टता तथा पूर्णयता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी परिचालन किया गया था, कि विषयी अयथार्थ से यह सत्य एवं उचित अवलोकन देगा स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी में कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्था संबंधी मामलों संबंधी लागू के अनुसार प्रकटीकरण हेतु प्रबंधतंत्र जिम्मेवार है तथा

लेखांकन हेतु कार्यशील संस्था आधारित उपयोग करते हुए अन्यथा प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा अथवा वास्तविक विकल्प नहीं है किंतु ऐसा ही करना होगा.

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारे उद्देश्य तार्किक आश्वासन प्राप्त करना क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियां एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में हमारी राय शामिल है. तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि स्टेंडअलोन के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा जब भी कार्यान्वयन होगा हमेशा विषयी अयथार्थ का पता लगेगा. अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, वे इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों आधार पर लेकर उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता था.

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं. हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आंकलन करना, बहराल धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, डिजाइन के कारण तथा उन जोखिमों की अनुक्रयशीलता के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गई, और हमारी राय हेतु लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने जो एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उचित हो. विषयी अयथार्थ का पता नहीं लगाने का जोखिम जिसके परिणाम स्वरूप एक त्रुटि के पता न लगाने से धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है क्योंकि धोखाधड़ी में कपट्पूर्ण, जालसाजी, आंतरिक चूक, अयथार्थ अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना और प्रबंन्धन द्वारा लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं संबंधी प्रकटीकरण बनाना.
- लेखांकन आधारित तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधारित कार्यशील संस्था के उपयोग पर प्रबंधन के औचित्य का निष्कर्ष बहराल घटनाओं अथवा परिस्थितियों संबंधी एक विषयी अनिश्चितता निकास जो कार्यशील संस्था के तौर पर बैंक की निरंतर होने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह व्यक्त करता है. यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विषयी अनिश्चितता होती है, हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि स्टेंड अलोन वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण संबंधी अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हो उन्हें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना. हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक लिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है. तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था के तौर पर कायम रखने हेतु कारण हो सकती है.

- प्रकटीकरण सहित स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, ढांचा एवं विषय का मूल्यांकन तथा क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणी अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं की प्रस्तुति को ऐसे क्रम में रखें जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके.

स्टेंडअलोन विवरणी में विषयी एक अयथार्थ की महत्ता है जो वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में इसे संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों के एक तर्कसंगत अनुभवी उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम सोचते हैं कि गुणात्मक विषयी एवं गुणात्मक घटक है (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित अयथार्थ विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करना.

हम अन्य मामलों के साथ परिचालन संबंधी उन आरोपों के साथ सूचित करते हैं, योजनाबद्ध क्षेत्र और लेखापरीक्षा की समयसीमा एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धि, आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियों सहित हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमने चिन्हित किया है.

हम विवरणी के साथ परिचालन सहित उन आरोप को भी उपलब्ध कराते हैं जो हमने स्वतंत्र संबंधी संबद्ध नीतिपरक अपेक्षाओं सहित संकलित किया है और सभी संबंधी एवं अन्य मामलों के साथ उन्हें सूचित करते हैं हमारी स्वतंत्रता पर तार्किक रूप से विचार हो सकता है और सुरक्षा संबंधी जहां भी लागू हो.

परिचालन सहित उन आरोप के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं कि चालू अवधि के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा में अतिमहत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं जब तक विधि अथवा विनियामक मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण अथवा जब विशेष असाधारण कारणों को प्रतिबंधित करता है, हम निर्धारित करते हैं मामला हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचनाओं के प्रभावशाली सार्वजनिक हित प्रतिलाभ तर्कसंगत असंभावी होगे.

अन्य मामले

8. बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 2549 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं का हमने लेखापरीक्षा नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरणियों / वित्तीय सूचनाओं में दिनांक 31 मार्च, 2019 को कुल ₹ 96589.14 करोड़ का अग्रिम एवं इस तारीख को समाप्त पूर्ण वर्ष के लिए ₹ 17577.07 करोड़ की ब्याज आय परिलक्षित है जोकि एकल वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं में यह समझी गयी है कि इन शाखाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है एवं जिनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, एवं हमारी राय में जहां तक यह राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित है, शाखाओं के संबंध में सम्मिलित है, पूर्ण तौर पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. उपुर्यक्त पैरा 6 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के आवश्यक हमारी जानकारी एवं निष्ठापूर्वक सभी जानकारियां एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.

बी. हमारे ध्यान में आए बैंक के सभी लेन देन बैंक की शक्तियों के अनुसार हैं एवं

सी. लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए कार्यालय एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां पर्याप्त पायी गयी हैं.

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमारी राय में, कानून की आवश्यकता के अनुसार खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा रखी गयी हैं एवं हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से पता लगता है एवं हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है.

बी. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता एवं नगद प्रवाह विवरणियां खातों की बहियों एवं उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां जिन शाखाओं का हमने निरीक्षण नहीं किया है, के साथ करार में हैं.

सी. बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षक की शाखा कार्यालय रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से संव्यवहार किया गया. एवं

डी. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाते एवं नगद प्रवाह विवरणियां लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं एवं काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के असंगत नहीं हैं.

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019

एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**
मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), **मुम्बई - 400057**	**एएजेवी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, **नई दिल्ली - 110024**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('दि बैंक') के दिनांक 31 मार्च, 2019 के संलग्न संक्षिप्त तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण तथा उन पर टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां के नाम से संदर्भित किया गया है) की जांच है.

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ नं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई हैं और हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 15 मई, 2019 में कवर की गई है.

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (गत वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं		
पूंजी	**4,04,720.14**	**2,61,815.58**
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	**2,06,359.79**	2,06,359.79
पूंजी आरक्षित निधियां	**4,24,011.05**	4,23,938.13
शेयर प्रीमियम	**22,15,383.34**	16,99,087.91
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	**2,58,112.73**	2,52,667.72
आयकर अधिनियम 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	**10,000.00**	10,000.00
लाभ-हानि खाते में शेष	**(16,25,101.39)**	(10,55,315.77)
कुल	**14,88,765.52**	**15,36,737.78**
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	**21,254.09**	**-**
जमा राशियां		
मांग जमा	**16,41,655.38**	14,68,648.68
बचत बैंक जमा	**1,22,13,886.74**	1,10,50,928.92
सावधि जमा	**1,61,30,001.56**	1,69,64,308.13
कुल	**2,99,85,543.68**	**2,94,83,885.73**
उधार राशियां		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	**-**	-
(बी) अन्य बैंकों से	**444.71**	115.34
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	**29,551.45**	41,086.28
(डी) आरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	**50,000.00**	77,000.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	**2,30,000.00**	2,88,500.00
(एफ) नविन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	**13,910.00**	13,910.00
(जी) आरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स	**2,00,000.00**	1,50,000.00
2. भारत के बाहर उधारी	**-**	-
कुल [1 और 2]	**5,23,906.16**	**5,70,611.62**
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	**64,542.86**	69,186.35
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**-**	55,264.39
उपचित ब्याज	**83,719.40**	77,601.43
मानक आस्तियों पर प्रावधान	**47,883.47**	-
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**-**	-
अन्य	**4,51,431.07**	5,67,424.66
कुल	**6,47,576.80**	**7,69,476.83**
कुल पूंजी एवं देयताएं	**3,30,71,766.39**	**3,26,22,527.54**
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	20,77,908.50	35,99,990.88
कुल	**20,77,908.50**	**35,99,990.88**
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		
भारत में बैंकों में शेष	**6,724.70**	11,600.90
भारत में मांग व अल्प सूचना पर राशि	**10,34,663.71**	2,01,073.48
भारत के बाहर शेष राशि	**696.17**	1,10,178.27
कुल	**10,42,084.58**	**3,22,852.65**
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	**96,20,602.71**	81,31,713.45
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-**	-
(सी) शेयर्स	**83,420.97**	1,26,116.55
(डी) डिवेंचर्स एवं बॉण्ड्स	**21,46,943.17**	14,22,051.98
(ई) अनुषंगियां और/अथवा संयुक्त उद्यम	**30,399.87**	30,399.87
(एफ) अन्य	**6,43,691.40**	5,48,130.52
2. भारत के बाहर	**4,748.85**	4,748.85
कुल [1 और 2]	**1,25,29,806.97**	**1,02,63,161.22**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (गत वर्ष)
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1,11,087.22**	1,21,087.70
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**70,50,212.60**	70,53,098.54
(सी) मीयांदी ऋण	**74,91,236.24**	84,80,031.47
2. भारत के बाहर	**-**	-
कुल [1 और 2]	**1,46,52,536.06**	**1,56,54,217.71**
अचल आस्तियां	**4,31,024.38**	**4,34,338.11**
अन्य आस्तियां		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**12,559.27**	-
उपचित ब्याज	**1,84,623.54**	1,67,855.95
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	**5,16,344.57**	5,34,812.35
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	**7,89,401.00**	5,36,803.00
दावें के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	**-**	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	**2,018.11**	1,998.46
अन्य	**8,33,459.41**	11,06,497.21
कुल	**23,38,405.90**	**23,47,966.97**
कुल आस्तियां	**3,30,71,766.39**	**3,26,22,527.54**
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	**10,524.91**	11,039.50
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	**2,56,915.53**	2,97,990.58
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	**64,44,322.69**	92,83,133.29
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	**12,28,426.37**	10,72,501.31
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	**6,61,572.13**	12,30,092.67
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	**64,533.61**	44,267.73
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	**524.98**	761.40
कुल	**86,66,820.22**	**1,19,39,786.48**
संग्रहण हेतु बिल	**16,24,739.15**	**14,48,606.70**

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
अर्जित ब्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	**12,94,974.63**	14,47,875.36
निवेश पर	**8,45,423.99**	7,13,736.32
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	**87,280.57**	2,05,854.42
अन्य	**36,177.88**	36,085.61
कुल	**22,63,857.07**	**24,03,551.71**
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**1,20,381.26**	1,26,247.51
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	**21,518.79**	57,667.55
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	**(442.69)**	(449.82)
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	**14,043.72**	14,090.54
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	**522.00**	1,009.72
विविध आय	**85,270.60**	63,669.63
कुल	**2,41,293.68**	**2,62,235.13**
कुल आय	**25,05,150.75**	**26,65,786.84**
व्यय		
प्रदत्त व्यय		
जमा राशियों पर	**15,27,632.30**	16,22,268.90
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	**476.90**	457.04
अन्य	**58,529.78**	1,29,124.85
कुल	**15,86,638.98**	**17,51,850.79**
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**3,56,522.16**	3,98,337.03
किराया, कर एवं बिजली	**47,242.67**	47,467.38
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**2,877.39**	3,626.98
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	**1,057.10**	2,414.56
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	**27,772.42**	26,030.90
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**145.57**	106.22
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**3,034.12**	1,985.92
विधि प्रभार	**1,672.76**	1,712.72
डाक, तार एवं टेलीफोन इत्यादि	**8,992.75**	6,634.47
मरम्मत एवं रखरखाव	**9,889.42**	11,327.48
बीमा	**30,008.04**	35,717.63
अन्य	**1,16,648.10**	1,05,275.60
कुल	**6,05,862.50**	**6,40,636.89**
कुल व्यय	**21,92,501.48**	**23,92,487.68**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	**98,388.06**	79,416.00
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**10,62,630.24**	9,59,856.11
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	**(11,492.71)**	630.76
अन्य (आयकर छोड़कर)	**(19,853.98)**	22,992.91
कुल	**11,29,671.61**	**10,62,895.78**
कुल व्यय एवं प्रावधान	**33,22,173.09**	**34,55,383.46**
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	**(8,17,022.34)**	(7,89,596.74)
घटाएं: पूर्वावधि मद	-	-
कर पूर्व पूर्वावधि मद के पश्चात लाभ/(हानि)	**(8,17,022.34)**	(7,89,596.74)
वर्तमान कर	-	22,328.00
आस्थगित कर	**(2,52,874.35)**	(3,01,435.00)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**(5,64,147.99)**	**(5,10,489.74)**
आगे लाया गया लाभ/हानि	**(10,55,315.77)**	**(5,35,639.17)**
कुल	**(16,19,463.77)**	**(10,46,128.92)**
विनियोजन		
को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	-
निवेश प्रारक्षित	**5,637.62**	9,186.85
कर्मचारी कल्याण निधि	-	-
राजस्व प्रारक्षित	-	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी	-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी	-	-
बीमा के बदले निधि	-	-
लाभांश कर	-	-
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	**(16,25,101.39)**	**(10,55,315.77)**

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन
(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू
(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू
(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन
(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. तैयार करने का आधार :

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां हैं (इसके बाद इन्हें 'वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियां' के नाम से संदर्भित किया गया है) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116.2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं.

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

बैंक की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 'वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियां' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं.

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां:

लेखे एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां वार्षिक स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं.

आलोक श्रीवास्तव	**बी.एस.शेखावत**	**पी.रमण मूर्ति**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र	**तपन राय**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	**थॉमस मैथ्यू**	**एन. नित्यानंद**	**प्रो. (डॉ.) आत्मानंद**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	**(8,170.22)**	**(7,895.97)**
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**277.72**	260.31
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**983.88**	794.17
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**10,626.30**	9,564.62
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(114.93)**	6.31
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**(198.54)**	263.86
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	**4.43**	4.50
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	**(5.22)**	(10.10)
	उप योग	**3,403.42**	**2,987.70**
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**5,016.58**	(1,832.33)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(467.06)**	(3,576.33)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(1,103.64)**	(1,835.07)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**(609.48)**	(26,708.03)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(23,650.34)**	(11,330.90)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**2,635.47**	(1,807.22)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	**187.43**	(293.85)
	उप योग	**(17,991.04)**	**(47,383.73)**
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(14,587.62)**	**(44,396.03)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**3.48**	4.12
	अचल आस्तियों की खरीद	**(254.12)**	(314.25)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	**5.22**	10.10
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(245.42)**	**(300.03)**
सी	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**6,592.00**	5,158.00
	शेयर आवेदन राशि	**212.54**	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	**-**	-
	लाभांश कर	**-**	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**6,804.54**	**5,158.00**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(8,028.50)**	**(39,538.06)**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**35,999.91**	75,086.76
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**3,228.53**	3,679.74
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**39,228.44**	**78,766.50**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	**20,779.09**	35,999.91
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	**10,420.85**	3,228.53
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**31,199.94**	39,228.44

नोट्स:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन
(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू
(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू
(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन
(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2019

एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**
मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), **मुम्बई - 400057**	**एएजेवी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, **नई दिल्ली - 110024**

सेबी (दायित्व सूचीवद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के नियम 33 के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समेकित वित्तीय परिणाम पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (पालक बैंक) एवं उसकी अनुषंगी संस्थाओं (जिन्हें सामूहिक रूप से "समूह" कहा गया है) एवं उनके सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2019 (विवरणी) को समाप्त वर्ष में लाभ या हानि के अंश के संलग्नित समेकित वित्तीय परिणामों का अंकेक्षण किया है, जिसे "पालक बैंक" ने सेबी (दायित्व सूचीवद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के नियम 33 के अनुसार जमा किया है. यह विवरणी, जो कि "पालक बैंक" की जिम्मेदारी है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार तैयार की गई है. भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखा पद्धति में निहित निर्धारण एवं मापन पद्धति को मान्य किया जाता है जो कि "पालक बैंक" एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार लागू होते हैं. 31मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की विवरणी एवं वित्तीय परिणाम की प्रस्तुति पर अपने विचार रखना हमारी जिम्मेदारी है.

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप किया है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम सही लेखापरीक्षा की अपनी योजना, कार्यनिष्पादन एवं उचित आश्वासन, जोकि समेकित वित्तीय परिणाम किसी गलत अनुमान से परे हैं, प्राप्त करने में नैतिकता का पालन करें. किसी लेखापरीक्षा की प्रस्तुति पद्धति में विवरणी के प्रकटन एवं राशि के बारे में लेखा साक्ष्य को प्राप्त करना शामिल है. चयनित पद्धति लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें विवरणी में किसी भौतिक गलत अनुमान के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है चाहे वह कपट से हो या किसी चूक से. इन जोखिमों के निर्धारण में लेखापरीक्षक विवरणी की तैयारी एवं उसकी साफ सुथरी प्रस्तुति के लिए उस समय की स्थिति के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा पद्धति बनाने के लिए समूह एवं उसके सहयोगियों से सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रक को अपने संज्ञान में लेता है लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीति के पर्याप्त अनुपालन का मूल्यांकन एवं प्रबन्धन द्वारा बनाए प्राक्कलनों के उचित अंकेक्षण के अलावा विवरणी की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है. हमें विश्वास है कि सहायक कंपनियों की रिपोर्ट्स एवं सहयोगी प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराए गए बिना लेखापरीक्षित लेखा वित्तीय विवरणियॉ, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा एवं हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी राय बनाने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं.

3. ये वित्तीय परिणाम हमारे द्वारा लेखापरीक्षित की गईं 20 शाखाओं, दूसरें लेखा परीक्षकों द्वारा, जो इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, द्वारा लेखापरीक्षित की गईं 2549 शाखाओं एवं "पालक बैंक" की बिना अंकेक्षित की गई 2090 शाखाओं की संबन्धित विवरणियों से लिए गए हैं.

4. (i) दो सहायक कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणी से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2019 को उनकी कुल आस्ति ₹ 1442.88 करोड़ एवं कुल राजस्व ₹ 146.50 करोड़ एवं कुल नगद आगम ₹ 71.63 करोड़ रहा, का लेखा परीक्षण हमने नहीं किया है. ये वित्तीय विवरणियॉ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित की गईं हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमें प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं हमारी राय पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स पर आधारित है.

 (ii) समेकित वित्तीय विवरणी में "समूह" को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में कर चुकाने के बाद हुआ निवल लाभ ₹ 16.59 करोड़ शामिल है, "समूह" में शामिल चारों सहयोगियों की वित्तीय विवरणियॉ हमने लेखा परीक्षित नहीं की हैं, प्रबन्धन ने तीन सहयोगियों, यथा: उत्तरबंगा क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की वित्तीय विवरणियॉ जो लेखापरीक्षित नहीं की गई हैं, की वित्तीय विवरणियॉ हमें उपलब्ध कराईं हैं. इंडो जाम्बिया बैंक लि., नाम के सहयोगी के मामले में जिनकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है, का लाभांश, 31 दिसम्बर 2018 यानि 9 माह तक ही लिया गया है, जो 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त वर्ष कैलेंडर वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त 3 माह का जो लाभ इस हेतु लिया गया है उसका आधार बिना लेखापरीक्षा वाली वित्तीय विवरणियॉ हैं जो प्रबन्धन ने उपलब्ध कराईं हैं.

समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी राय एवं हमारी रिपोर्ट, जहॉ तक कि इन सहयोगियों द्वारा शामिल राशि एवं प्रकटन का सम्बन्ध है, पूरी तरह से गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पर आधारित है. हमारे विचार से एवं बैंक प्रबन्धन द्वारा दी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त का "समूह" पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

उक्त मामले के सम्बन्ध में हमारी राय आशोधित नहीं है.

5. प्रबन्ध तंत्र द्वारा पेराग्राफ 4 में वर्णित सत्यापित वित्तीय विवरणियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दिए स्पष्टीकरण, हमारी राय एवं अधिकतम जानकारी के अनुसार, विवरणी :

1) समेकन में निम्न संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं

(ए) सहायक कंपनियॉ

(1) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि.

(2) सेन्ट बैंक फायनेंसियल सर्विसेस लि.

(बी) सहयोगी

(1) सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(2) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(3) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(4) इंडो जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया

2) इस सम्बन्ध में सेबी (दायित्व सूचीबद्धता एवं आवश्यकताओं का प्रकटन) विनियमन 2015 के विनियमन 33 की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया एवं

3) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु "समूह" की समेकित निवल हानि एवं अन्य वित्तीय जानकारी पर सत्य एवं निष्पक्ष विचार करें.

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 मई, 2019

एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 302-306, प्रगति टॉवर्स, 26 राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**
मुकुंद एम चितले एंड कम्पनी सनदी लेखाकार, द्वितीय मंजिल, कपुर हाउस, परांजपे 'बी' स्कीम, रोड न. 1, विले पार्ले (पूर्व), **मुम्बई - 400057**	**एएजेवी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार, एलजीएफ-सी 73, लाजपत नगर-II, **नई दिल्ली - 110024**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("मूल बैंक") एवं इसकी अनुषंगियों (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में माना गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा उनके संलग्न टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां के नाम से सम्बोधित किया गया है) की जांच की गई.

मूल बैंक द्वारा ये संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल बैंक द्वारा तैयार किए गए हैं और दिनांक 22 मई, 2019 को मूल बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है.

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए दर्शित जोशी)
भागीदार
सदस्यता सं.133755

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 22 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (गत वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं		
पूंजी	**4,04,720.14**	**2,61,815.58**
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	**2,07,591.31**	2,07,591.31
पूंजी आरक्षित निधियां	**4,24,011.04**	4,23,938.12
शेयर प्रीमियम	**22,15,383.34**	16,99,087.91
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	**2,54,809.52**	2,49,182.68
आयकर अधिनियम 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	**12,845.13**	12,309.15
लाभ-हानि खाते में शेष	**(16,01,011.06)**	(10,32,878.65)
कुल	**15,13,629.28**	**15,59,230.52**
अल्पांश ब्याज	**4,345.72**	**3,980.88**
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	**21,254.09**	-
जमाएं		
मांग जमा	**16,40,930.69**	14,67,817.85
बचत बैंक जमा	**1,22,13,886.74**	1,10,50,928.92
सावधि जमा	**1,61,76,321.13**	1,70,16,701.98
कुल	**3,00,31,138.56**	**2,95,35,448.75**
उधारी		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	**-**	-
(बी) अन्य बैंकों से	**37,505.14**	29,071.91
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	**29,551.45**	41,086.28
(डी) आरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	**53,000.00**	80,000.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	**2,30,000.00**	2,88,500.00
(एफ) नविन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	**13,910.00**	13,910.00
(जी) आरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स	**2,00,000.00**	1,50,000.00
2. भारत के बाहर उधारी	**-**	-
कुल [1 और 2]	**5,63,966.59**	**6,02,568.19**
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	**64,542.86**	69,186.35
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**-**	55,264.39
उपचित ब्याज	**83,719.40**	77,601.43
मानक आस्तियों पर प्रावधान	**48,183.02**	50,046.50
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**-**	-
अन्य	**4,52,964.49**	5,19,787.27
कुल	**6,49,409.77**	**7,71,885.94**
कुल पूंजी एवं देयताएं	**3,31,88,464.15**	**3,27,34,929.86**
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	**20,77,944.97**	**36,00,011.96**
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		
भारत में बैंकों में शेष	**16,454.32**	14,977.23
भारत में मांग व अल्प सूचना पर राशि	**10,34,663.71**	2,01,073.48
भारत के बाहर बैंकों में शेष राशि	**696.17**	684.27
भारत के बाहर मांग अल्प सूचना पर राशि	**-**	1,09,494.00
कुल	**10,51,814.20**	**3,26,228.98**
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	**96,23,578.75**	81,34,689.49
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-**	-
(सी) शेयर्स	**83,420.97**	1,26,116.55
(डी) डिवेंचर्स एवं बॉण्ड्स	**21,46,943.17**	14,22,051.98
(इ) एशोसिएट्स में निवेश	**32,789.14**	32,443.10
(एफ) अन्य	**6,43,841.40**	5,48,280.52
2.भारत से बाहर	**14,700.22**	13,364.83
कुल [1 और 2]	**1,25,45,273.65**	**1,02,76,946.47**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (गत वर्ष)
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1,11,087.22**	1,21,087.70
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**70,62,782.83**	70,67,854.03
(सी) मीयांदी ऋण	**75,68,677.63**	85,59,010.93
2.भारत से बाहर	-	-
कुल [1 और 2]	**1,47,42,547.68**	**1,57,47,952.66**
अचल आस्तियाँ	**4,31,091.50**	**4,34,396.44**
अन्य आस्तियाँ		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**12,559.27**	-
उपचित ब्याज	**1,85,196.12**	1,68,330.27
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	**5,16,704.99**	5,35,020.38
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	**7,88,210.35**	5,35,758.50
दावें के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	**2,018.11**	1,998.46
अन्य	**8,34,214.35**	11,07,396.78
कुल	**23,38,903.19**	**23,48,504.39**
समेकन पर गुडविल	888.96	888.96
कुल आस्तियाँ	**3,31,88,464.15**	**3,27,34,929.86**
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	**10,549.91**	11,064.50
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	**2,57,349.15**	2,98,420.36
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	**524.98**	761.40
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	**64,44,322.69**	92,83,133.29
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	**12,28,426.37**	10,72,501.31
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	**6,61,572.13**	12,30,092.67
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	**64,558.61**	44,292.73
कुल	**86,67,303.84**	**1,19,40,266.26**
संग्रहण हेतु बिल	**16,24,739.15**	**14,48,606.70**

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषणकुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
अर्जित ब्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	**13,05,383.18**	14,60,094.58
निवेश पर	**8,46,020.32**	7,14,270.65
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	**87,280.57**	2,05,854.42
अन्य	**36,177.88**	36,091.99
कुल	**22,74,861.95**	**24,16,311.64**
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**1,20,695.33**	1,26,573.07
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	**21,518.79**	57,667.55
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	**(442.69)**	(449.17)
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	**14,043.72**	14,090.54
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	**-**	-
विविध आय	**85,818.12**	64,158.77
कुल	**2,41,633.27**	**2,62,040.76**
कुल आय	**25,16,495.22**	**26,78,352.40**
व्यय		
प्रदत्त ब्याज		
जमा राशियों पर	**15,27,481.76**	16,22,075.41
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	**7,437.15**	9,110.46
अन्य	**58,546.88**	1,29,146.24
कुल	**15,93,465.79**	**17,60,332.11**
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**3,57,448.21**	3,99,004.72
किराया, कर एवं बिजली	**47,409.70**	47,661.50
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**2,890.78**	3,638.88
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	**1,062.84**	2,418.20
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	**27,793.48**	26,049.89
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**185.25**	139.30
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**3,058.25**	2,010.56
विधि प्रभार	**1,817.12**	1,860.76
डाक,तार एवं टेलीफोन इत्यादि	**9,013.93**	6,654.75
मरम्मत एवं रखरखाव	**9,901.00**	11,337.62
बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**37.57**	7.31
बीमा	**30,011.36**	35,720.72
अन्य	**1,17,386.37**	**1,06,073.19**
कुल	**6,08,015.86**	**6,42,577.40**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	**98,388.00**	79,417.00
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**10,62,825.72**	9,56,664.69
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	**(11,575.20)**	551.10
अन्य (आयकर छोड़कर)	**(19,853.68)**	26,396.04
कुल	**11,29,784.84**	**10,63,028.83**
कुल व्यय एवं प्रावधान	**33,31,266.49**	**34,65,938.34**
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	**(8,14,771.27)**	(7,87,585.94)
वर्तमान कर	**728.60**	23,310.69
आस्थगित कर	**(2,52,728.19)**	(3,01,339.56)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**(5,62,771.68)**	**(5,09,557.07)**
जोड़े : एशोसिएट्स में आय का शेयर	**1,658.60**	**(3,803.86)**
अल्पांश ब्याज घटाएं	**(579.43)**	**(599.36)**
घटाएँ: अधिग्रहण पूर्व लाभ	-	-
समूह लाभ	**(5,61,692.51)**	**(5,13,960.29)**
आगे लाया गया लाभ/हानि	**(10,32,878.65)**	**(5,08,851.64)**
एशोसिएट्स में निवेश के अंतरण के लिए समेकित लाभ को आगे ले जाए गए में कमी को घटाया	-	-
कुल	**(15,94,571.16)**	**(10,22,811.93)**
विनियोजन :		
को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	-
निवेश प्रारक्षित	**5,637.62**	9,186.85
राजस्व प्रारक्षित	**159.00**	242.86
लाभांश कर	**107.30**	65.55
36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियाँ	**535.98**	571.46
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	**(16,01,011.06)**	**(10,32,878.65)**

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषणकुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 मई, 2019

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/(हानि)	**(8,131.13)**	**(7,913.90)**
I	**समायोजन हेतु:**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**277.93**	260.50
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**983.88**	794.17
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**10,628.26**	9,566.65
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(115.75)**	5.51
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**(198.54)**	263.96
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**4.43**	4.49
	उप योग	**3,449.08**	**2,981.38**
II	समायोजन हेतु:		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**4,956.90**	(1,954.74)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(386.02)**	(3,597.62)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(1,103.14)**	(1,826.94)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**(574.21)**	(26,582.21)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(23,667.15)**	(11,287.07)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**2,635.91**	(1,808.19)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	**178.64**	(301.02)
	उप योग	**(17,959.07)**	**(47,357.80)**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(14,509.98)**	**(44,376.42)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**3.48**	4.13
	अचल आस्तियों की खरीद	**(254.42)**	(314.36)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(250.94)**	**(310.23)**
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**6,592.00**	5,158.00
	शेयर आवेदन राशि	**212.54**	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	**(7.00)**	(3.25)
	लाभांश कर	**(1.43)**	(0.66)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**6,796.11**	**5,154.09**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ - ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(7,964.81)**	**(39,532.56)**

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2019	31- 03- 2018
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**36,000.12**	75,087.18
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**3,262.29**	3,707.79
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**39,262.41**	**78,794.97**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**20,779.45**	36,000.12
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**10,518.14**	3,262.29
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**31,297.59**	39,262.41

नोट्स:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

बी.एस.शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी.रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

पल्लव महापात्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

तपन राय
अध्यक्ष

डॉ. भूषणकुमार सिन्हा
निदेशक

थॉमस मैथ्यू
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 106655 डब्ल्यू

(सीए ए.वी. कामत)
भागीदार
सदस्यता सं. 039585

कृते एएजेवी एंड एशोसिएट
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 007739एन

(सीए दीपक गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं. 093348

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 मई, 2019

नोट्स / Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी # /ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से

श्री/सुश्री _____

निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति

में श्री/सुश्री. _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____

को शुक्रवार, 28 जून, 2019 दोपहर 12.00 बजे, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालयके 9वें माले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

तारीख _____माह_____ वर्ष 2019 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;

 (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

 (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

 (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.

3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, 21 जून, 2019 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए जो कि रविवार, 23 जून, 2019 अवकाश दिवस से एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है. मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.

4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.

5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.

6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.

7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फॉर्म 'बी'" में न होने पर वैद्य माना नहीं जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार 28 जून, 2019 को 12.00 बजे

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारका / प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 28 जून, 2019
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय 9वां माला, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 400021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

12वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 28 जून, 2019 को 12.00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021

पंजीकृत पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी / शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि/
का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

नोट्स / Notes



CHAIRMAN's MESSAGE

Dear Stakeholders,

The banking industry has gone through a tough phase over the past few years with multiple challenges confronting those associated with it. However, going forward, there appears to be a glimmer of hope at the end of tunnel with the turbulence of the recent past tending to attenuate. The thorny issue of impaired assets is in the process of being tackled. With the quickening pace of corporate stressed asset resolution, and tapering off of fresh bad loan generation, the year 2019-20 in all likelihood should be optimistic for the banking industry. The reduction of impaired assets should release the much needed capital of public sector banks thus augmenting their lending capacity. Further, regulatory oversight of the sector, will no doubt, ensure the requisite discipline for an orderly growth in the market.

The world economy exhibited sluggishness in 2018 in advanced and emerging economies owing to several factors. Principally, increasing trade protectionism and other uncertainties prevailing in the global economy have led to lowering of growth projections by major international agencies for 2019. On the domestic front, the economy has shown signs of moderation in the recent quarters. The Indian economy advanced 6.6 percent year-on-year in the last three months of 2018, below a downwardly revised 7 percent expansion in the previous period and market expectations of 6.9 percent, and as compared to a 7.3 percent growth in Q3 of 2017-18, being the lowest growth rate in five quarters on the back of weak consumer demand. The Brent oil price touched $80/barrel in October 2018 due to supply concerns, impacting India's current account balance. The Reserve Bank of India in its April 2019 Monetary Policy Statement projected India's GDP to grow by 7.2% in 2019-20.

While the Indian banking sector has undergone significant reforms over the last few years, there has been a significant increase in competition in the banking industry from the emergence of FinTech companies, payment banks due to technological advancement and tech-savvy human resources. Digitalisation is all around the banking spectrum with the leveraging of big data, increased use of analytics, artificial intelligence, etc. being the order of the day. Our Bank has embraced the technological challenge in the right spirit to enhance operational efficiency and to reduce operating costs while minimizing risk. The objective is to eventually benefit the customers with better services. Our bank is fully conscious of the ever rising customer expectations as technology driven sophistication in the banking environment continues to accelerate.

The issue of Non-performing Assets (NPAs) is a key challenge in the Indian Banking Industry. Banking reforms, particularly the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has created a new hope for resolution of the vexed NPA issue. Initial outcomes from the IBC process are encouraging and we expect resolution of significant NPA accounts through NCLT under IBC during the current financial year 2019-20. We have adopted a multi-pronged strategy to tackle the NPA challenge, and we are confident to make noticeable gains in the same.

We have addressed the issues of due diligence, enhancing knowledge and skills in areas such as Credit, Treasury, Risk Management, IT and Analytics. With Government of India promoting and incentivizing digitalization in a big way, our Bank

is also is in alignment with the same strategy. Human resource being a sine-qua-non for any vibrant organization, our bank continues to lay the desired emphasis on its development. I am confident that by focusing our efforts in the key areas, we shall emerge from the difficult times at the earliest and come out of red during the year 2019-20.

With regard to corporate governance, the Board of Directors continuously guides the senior management team of the Bank to help them form business goals and objectives that should help the Bank to move towards a robust and sustainable growth path. The thrust of the corporate governance has always been to maximize stakeholder value by pursuing ethical practices in the conduct of business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board.

Finally, I thank customers for choosing us as their preferred service provider notwithstanding other options available to them, and also our stakeholders for their continued support in all our endeavors

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Tapan Ray

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019.



MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE

Dear Shareholder,

The world economy has been navigating through challenging environment in recent times. After having a growth of 3.8% in 2017, the global growth moderated to 3.6% in 2018. As per IMF's April 2019 projections, the global growth is expected to moderate to 3.3% in 2019 before it jumps back to 3.6% in 2020. The second half of 2018 has exhibited growth moderation globally. Chinese economy had witnessed slowdown due to measures taken to arrest shadow banking and rising trade tensions with the US. The US Fed has indicated to follow a more accommodative monetary policy.

On the domestic front, the Indian economy had slowed down in the 3rd quarter of 2018-19. There was a moderation in growth in private and government consumption expenditure in Q3 2018-19 compared to Q2 2018-19. Nonetheless, the gross fixed capital formation continued to grow in double digit. The retail inflation stayed low and kept below 4% in all months from August 2018 to March 2019 primarily due to benign food inflation. The fuel inflation was also relatively low in the later part of 2018-19. On the Monetary Policy front, the Reserve Bank of India in February 2019 cut the repo rate by 25 basis points to 6.25% and also changed the stance to "neutral". Subsequently in April 2019 the Reserve Bank of India again cut the repo rate by 25 basis points to 6%.

From the banking industry's perspective, the credit growth picked up in 2018-19 and remained above 10% year-on-year for almost every month in 2018-19, as per Reserve Bank of India data. The credit to deposit ratio of the scheduled commercial banks stood at about 78% in February 2019. On sectoral basis, the credit growth in the personal loan and services sector registered double digit growth on year-on-year basis in March 2019.

Let me elucidate the highlights of your Bank's performance in the year. During the Financial Year 2018-19, Business of the Bank stood at ₹4,67,584 crore as compared to ₹4,72,323 crore in the Financial Year 2017-18. The Deposit of the Bank stood at ₹2,99,855 crore as against ₹2,94,839 crore in March 31, 2018. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 46.21% as against 42.46% in Financial Year ended March 31, 2018. High Cost Deposits substantially reduced by ₹793 crore and stood at ₹57 crore from ₹850 crore in the financial year ended March 31, 2018. Total Advances stood at ₹1,67,729 crore in March 31, 2019 as against ₹1,77,484 crore in March 31, 2018, which was mainly due to reducing our exposure in high risk weighted assets.

Asset Quality continued to be the major concern of the Banking Industry in general and particularly in the Bank for last 3-4 years. By putting concerted efforts, we were able to make Cash Recovery and upgradation of ₹5,656 crore in FY 2019 as against ₹3,122 crore in FY 2018. Gross NPAs of the Bank reduced to ₹32,356 crore from ₹38,131 crore as on March 31, 2018. Similarly, Gross NPA percentage reduced to 19.29% as of March 31, 2019 compared to 21.48% as of March 31, 2018. Net NPA percentage was brought down to 7.73% as on March 31, 2019 from 11.10% as of March 31, 2018. We expect resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC during 2019-20. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2019-20.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 5.21% during the financial year 2018-19 as against 5.53% during the financial year 2017-18. Net Interest Income of the Bank increased to ₹6,773 crore from ₹6,517 during 2017-18 whereas Non Interest Income reduced to ₹2,413 crore from ₹2,623 crore during 2017-18, which was mainly due to shifting loss of ₹325 crore in the trading book. However, recovery in written off accounts improved by 35.85% over the previous year. Net Interest Margin (NIM) was almost flat at 2.54% vis-à-vis 2.47% during financial year 2017-18. This was mainly on account of reversal of interest in NPA accounts.

The Operating Profit of the Bank stood at ₹3,127 crore as against ₹2,733 crore in financial year 2017-18. However, Bank has incurred Net Loss of ₹5,641 crore as compared to Net Loss of ₹5,105 crore during previous financial year, primarily, due to higher NPA provisions, slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, decline in Trading Profit on Investments, etc. The Bank's Provision Coverage Ratio improved from 63.31% as on 31.03.2018 to 76.60% as on 31.03.2019 which has strengthened the Balance Sheet. The Cost to Income ratio also improved significantly from 70.10% as on 31.03.2018 to 65.96% as on 31.03.2019. The Capital to Risky Asset Ratio CRAR (Basel-III) improved from 9.04% in FY 2018 to 9.61% in FY 2019. All these financial indicators show change in the right direction.

As on 31st March, 2019, Bank has a network of 4,659 branches, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 635 Districts out of 707 districts in the country, which is a source of strength to the Bank.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2019.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Pallav Mohapatra

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019

NOTICE

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To raise Capital through FPO/Rights Issue/QIP etc.

 To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

 "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

 "**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

 "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all

such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Deputy General Manager
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 22.05.2019

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday 21st June, 2019 being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday 21st June, 2019 being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2019 (Tuesday) to 28th June, 2019 (Friday) (both days inclusive).

7. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

8. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

9. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

10 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

13. Voting through electronic means

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

(i) The remote e-voting period begins on Tuesday, 25th June 2019 at 10.00 AM and ends on Thursday, 27th June 2019 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e.Friday, 21st June 2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/Members.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Address Sticker pasted on the EGM Notice, indicated in the PAN field.

Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.
OR Date of Birth (DOB)	If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Friday, 21st June, 2019. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of

the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 21st June, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 21st June 2019, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.

VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2020. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR) on ongoing basis. Therefore, your Directors have decided to raise equity capital upto ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) through various modes such as- Follow-on-Public Issue, Rights Issue, Private Placement including Qualified Institutions Placements, etc. subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Deputy General Manager
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 22.05.2019

TOTAL BUSINESS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18	MAR. 19
Total Business	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584
YoY Growth	35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)
Total Deposits	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855
YoY Growth	33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%
Total Loans & Advances	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729
YoY Growth	38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)
Investments	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219
YoY Growth	12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%
CD Ratio	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%	55.94%
Return on Assets	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18	MAR. 19
Gross Income	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052
YoY Growth	30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)
Gross Expenses	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925
YoY Growth	38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)
Operating Profit	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127
YoY Growth	0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%
Net Profit/Loss	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)
YoY Growth	10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----	----
NIM (%)	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47	2.54
Net Interest Income	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773
YoY Growth	(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%
Non Interest Income	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413
YoY Growth	66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)

DIRECTORS' REPORT 2018-19

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2019.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank stood at ₹4,67,584 crore as at March 31, 2019 compared to ₹4,72,323 crore as at March 31, 2018.
- Total Deposits stood at ₹299855 crore in March 31, 2019 as against ₹294839 crore in March 31, 2018.
- Total Advances of the Bank stood at ₹1,67,729 crore in March 31, 2019 as against ₹1,77,484 crore in March 31, 2018
- Total Income for the financial year ended March 31, 2019 was ₹25,052 crore as compared to ₹26,659 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- Non-Interest Income of the Bank stood at ₹2,413 crore for the financial year ended March 31, 2019 compared to ₹2,623 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- Operating Profit of the Bank increased to ₹3,127 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to ₹2,733 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2018 showing increase of 14.42%.
- The Bank has incurred Net Loss of ₹5,641 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to Net Loss of ₹5,105 crore during previous financial year ended March 31, 2018 primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments etc.
- Expenses on employees decreased by ₹471 crore during the financial year ended March 31, 2019 to ₹3,566 crore from ₹4,037 crore in the previous financial year ended March 31, 2018.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 10.13% with Tier I at 5.70% and Tier II 4.43% for the financial year ended March 31, 2019. Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 9.61% with Tier I at 7.49% and Tier II 2.12% for the financial year ended March 31, 2019.
- Net worth stood at ₹16,062.89 crore.
- Cash Recovery increased to ₹5,161 crore in the financial year ended March 31, 2019 as compared to ₹2403 crore in the previous financial year ended March 31, 2018.
- Gross NPA to Gross Advances improved to 19.29% as on March 31, 2019 from 21.48% as on March 31, 2018.
- Net NPA to Net Advances reduced to 7.73% as on March 31, 2019 as against 11.10% as on March 31, 2018.
- Provision Coverage Ratio improved to 76.60% as on March 31, 2019 from 63.31% as on March 31, 2018.
- Net Interest Margin (NIM) improved to 2.54% in the financial year ended March 31, 2019 from 2.47% in the Financial Year ended March 31, 2018.
- Business per Employee stood at ₹12.78 crore in the financial year ended March 31, 2019.
- Return on Assets (ROA) is (1.70)% for the Financial Year ended March 31, 2019.
- The credit deployment under priority sector increased to ₹83,201 crore in the financial year ended March 31, 2019, with a growth of ₹366 crore over financial year ended March 31, 2018. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PLSCs worth ₹27,436 crore under PS Advances and purchased PSLCs worth ₹5,885 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹21,551 crore. There is outstanding of RIDF to the tune of ₹4,907.27 crore under Priority Sector of which ₹3,075.97 crore under Agriculture as on 31.03.2019.
- Agriculture Advance of the Bank stood at ₹35,655 crore for the financial year ended March 31, 2019 as against ₹30,776 crore for the previous financial year ended March 31, 2018, registering y-o-y growth of 15.85%.
- MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2019 stood at Rs32,090 crore without PSLC and Investment in SIDBI and Mudra Ltd. consisting 19.13% of the total Loans & Advances.
- Retail Loans increased to ₹48,666 crore in financial year ended March 31, 2019 from ₹48,123 crore in financial year ended March 31, 2018.

- Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹23,301 crore for the financial year ended March 31, 2019 as against ₹21,392 crore for financial year ended March 31, 2018, registering y-o-y growth of 8.92%. Housing Loan Portfolio constitutes 47.88 % of the total Retail Portfolio as on March 31, 2019.
- Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2018-19, the RSETIs conducted 1098 training programmes and imparted training to 31,274 candidates. Out of this, 23,142 (i.e.74%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 13,227 i.e. 43%.
- Bank has 3 RRBs as on 31st March 2019 in 3 states covering 48 districts with a network of 1,629 branches.
- Under Financial Inclusion, Bank has covered 4,330 villages with population above 2,000 and 18,376 villages with population below 2,000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents. Bank has opened 177 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 202 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is ₹3,307.16 crore as on 31st March, 2019.
- Total earning from Bancassurance business is ₹22 crore for the financial year ended March 31, 2019.
- As on 31st March 2019, Bank has network of 4,659 branches, spanning 63.32% branches in rural & semi-urban areas, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2018-19 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2019	31.03.2018	Variation	%
1 **INTEREST INCOME**	22639	24036	(1397)	(5.81)
– Advances	12950	14478	(1528)	(10.55)
– Investments	8454	7138	1316	18.44
– Others	1235	2420	(1185)	(48.97)
2 **NON INTEREST INCOME**	2413	2623	(210)	(8.01)
3 **TOTAL INCOME (1+2)**	25052	26659	(1607)	(6.03)
4 **INTEREST EXPENDED**	15866	17519	(1653)	(9.44)
– Deposits	15276	16222	(946)	(5.83)
– Others	590	1297	(707)	(54.51)
5 **OPERATING EXPENSES**	6059	6407	(348)	(5.43)
– Establishment	3565	4037	(472)	(11.69)
– others	2494	2370	124	5.23
6 **TOTAL EXPENSES (4+5)**	21925	23926	(2001)	(8.36)
7 **SPREAD (1-4)**	6773	6517	256	3.93
8 **OPERATING PROFIT (3-6)**	3127	2733	394	14.42
9 **PROVISIONS**	8768	7838	930	11.87
10 **PROVISIONS FOR TAX**	(2529)	(2791)	262	(9.39)
11 **NET PROFIT/(LOSS)**	(5641)	(5105)	(536)	------

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹8,768 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2018-19 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2019	31.03.2018	Variation
Provisions for Standard Assets	(115)	7	(122)
Provisions for NPAs	11030	10543	487
Provisions for Restructured Accounts	(425)	(951)	526
Provision on Investments	984	799	185
Provisions for Taxes	(2529)	(2791)	262
Others	(177)	231	(408)
TOTAL	**8768**	**7838**	**930**

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2019	31.03.2018
Cost of Deposits	5.21	5.53
Cost of Funds	5.28	5.79
Yield on Advances	7.28	8.31
Yield on Investments	7.15	7.14
Net Interest Margin	2.54	2.47
Cost to Income Ratio	65.96	70.10

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2019	31.03.2018
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	6.81	7.59
Non-Interest Income to AWF	0.73	0.83
Operating Profit to AWF	0.94	0.86
Return on Average Assets	(1.70)	(1.61)
Business Per Employee (₹ In crore)	12.78	12.71
Net Profit per Employee (₹ In lakh)	(15.55)	(13.86)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2019	31.03.2018
	Basel-III	Basel-III
CET 1 / Tier-1	7.49	7.01
Tier-2	2.12	2.03
Capital Adequacy Ratio	9.61	9.04

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹5,641 crore during the financial year ended March 31, 2019. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2018-19.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri Tapan Ray was appointed as Part-time Non-official as well as Non-executive Chairman of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 23rd May, 2018.
- Shri Rajeev Rishi, Managing Director & Chief Executive Officer ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 1st August, 2018.
- Shri Pallav Mohapatra was appointed as Managing Director & Chief Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 21st September, 2018.
- Shri Govind Mohan ceased to be Government of India Nominee Director of the Bank w.e.f. 14th May, 2018.
- Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 14th May, 2018.
- Shri B.K. Divakara, Executive Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 23rd January, 2019.
- Shri Alok Srivastava was appointed as Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 23rd January, 2019 for a period of 3 years.
- Shri K.R. Patel, Shareholder Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 1st July, 2018.
- Smt. Mini Ipe was elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 1st July, 2018.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Rajeev Rishi, Shri Govind Mohan, Shri B.K. Divakara and Shri K.R. Patel who ceased to be the Directors of the Bank during the Financial Year 2018-19.

8.1 Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Notification dated 26th April, 2019 nominated Shri Thomas Mathew, Regional Director Reserve Bank of India, Jammu as RBI Nominee Director in place of existing RBI Nominee Director Shri Shekhar Bhatnagar, on the Board of our Bank with immediate effect (i.e. w.e.f. 26th April, 2019) and untill further orders. The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Shekhar Bhatnagar during his tenure as RBI Nominee Director of the Bank.

9. RAISING OF CAPITAL THROUGH EMPLOYEE STOCK PURCHASE SCHEME (ESPS)

During the financial year 2019-20, the Bank raised ₹212.53 crore Capital from the eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). The issue under ESPS was opened for subscription on 19th March, 2019 and closed on 29th March, 2019. The Capital funds of ₹212.53 crore was kept in Share Application Money Account as on March 31, 2019. The Bank allotted requisite 7,87,16,224 equity shares to 26,071 eligible employees on 15th May 2019.

10. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of “Cent Vigil” to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

11. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising out of the PCA will help in improving overall performance of the Bank.

12. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

13. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT

- The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2019:
- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2019;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;
- The accounts have been prepared on a going concern basis;
- Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

14. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

15. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Tapan Ray

Chairman

Place : Mumbai

Date : May 22, 2019

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2019.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read alongwith SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Central Bank of India**, (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Central Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31/03/2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31/03/2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review)**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

 (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

 (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

 (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

 (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review as there were no Buybacks)

 (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

 (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

 (g) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**

 (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(vi) The Following other Laws as applicable to the Bank:

 (a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time

 (b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof

 (c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

 (d) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules,

Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items in the meeting for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

(i) A Special Resolution was passed at the Annual General Meeting of the Bank held on 30th June 2018 for approving Raising of Capital of the Bank by way of Issuance of fresh Equity shares and / or by issuance of Additional Tier – I or Tier II capital as per Basel III Guidelines.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has on 29th March 2019 allotted 5000 bonds of Rs. 10 lacs each aggregating to Rs. 500 crores To Life Insurance Corporation of India, on Private Placement basis, through the closed bidding process on NSE / BSE Electronic Bidding Platform, in compliance with SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

(ii) Special Resolution was passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 13th November 2018 to

a. Create, issue and allot 35,43,57,970 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 56.43 per equity share i.e. the issue price of Rs. 66.43 aggregating upto Rs. 2354 crores to Government of India, on preferential basis.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 13th November 2018 in compliance with SEBI ICDR Regulations 2018

(iii) Special Resolutions were passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank on 28th February 2019 to

a. Create, issue and allot 38,74,39,390 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 33.31 per equity share i.e. the issue price of Rs. 43.31 aggregating upto Rs. 1678 crores to Government of India, on preferential basis.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 28th February, 2019 in compliance with the SEBI ICDR Regulations 2018.

b. Create, grant, offer, issue and allot upto 10 Crore new equity shares of face value of Rs. 10/- each under the Central Bank of India Employee Stock Purchase Scheme, 2019 (Central Bank of India - ESPS, 2019) in one or more tranches, at such price and on such terms and conditions as may be decided by the Board / Committee in its absolute discretion.

The Shares shall be allotted in current Financial Year.

(iv) Special Resolution was passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 28th March 2019 to

a. Create, issue and allot 68,72,48,322 Equity shares of Face value Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 27.25 per equity share i.e. the issue price of Rs. 37.25 aggregating upto Rs. 2560 crores to Government of India, on preferential basis.

Accordingly, the Capital Raising Committee of the Board of the Bank has allotted the said shares in its meeting held on 28th March, 2019 in compliance with SEBI ICDR Regulations 2018

(v) Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with the Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 has imposed an aggregate penalty of Rs.10 million on the Bank for some reconciliation lapses. The said incident has been intimated to Stock Exchanges.

(vi) Bank has redeemed following debt instruments in terms of Information Memorandum and approval granted by Reserve Bank of India :

Date of Redemption	Nature of instrument	Amount of redemption (in Rs)	Purpose
10.04.2018	Lower Tier II Series XIII	274,08,06,988	Redemption on Maturity
14.11.2018	Upper Tier II Series I	334,35,00,000	Redemption on exercise of call option
17.02.2019	Upper Tier II Series II	311,86,35,486	Redemption on exercise of call option

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019
Place: Mumbai

Annexure-I to the Secretarial Audit Report

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

To,

The Members of Central Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Central Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019
Place: Mumbai

Secretarial compliance report of Central Bank of India

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

[Pursuant to SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 Dated 08.02.2019]

To,

The Members of Central Bank of India,

1. We have examined:
 (a) All the documents and records made available to us and explanation provided by Central Bank of India ("the listed entity"), arising from the compliances of Specific Regulations listed under para 2 infra
 (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges in connection with the above
 (c) website of the listed entity,
 (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

 for the year ended 31st March 2019 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :
 (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
 (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");
2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-
 (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 (g) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013;
 (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

 and based on the above examination, We hereby report that, during the Review Period:
 (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, However, in absence of any transaction relating to Buyback of Securities and issue on Non Convertible and Redeemable Preference Shares during the period under review, the compliance of relevant provisions mentioned herein does not arise.
 (b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.
 (c) No action was required to be taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder;
 (d) This being the first reporting since the notification of the requirement to submit this report, reporting on actions taken to comply with observations made in the previous reports does not arise.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488

Date :13/05/2019
Place: Mumbai

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

PART A: ECONOMIC SCENARIO

The economic growth in India might have moderated a little in 2018-19 but the country still retains the position of "one of the fastest growing large economies" in the world. As per the second advance estimate of Central Statistics Office, (released in February 2019) the GDP growth of 2018-19 came in at 7% compared to 7.2% growth in 2017-18. On the other hand, the global output has dwindled due to various factors like Brexit uncertainties, rise in trade tariffs, Chinese rebalancing, sluggish growth in Eurozone, volatility in crude prices, etc. As per the IMF's April 2019 projections, the economic growth of the advance economies is forecast to moderate to 1.8% in 2019 from 2.2% in 2018 and projected to soften further to 1.7% in 2020.

The US economy having grown by an impressive 2.9% in 2018 is projected to moderate to 2.3% in 2019 and 1.9% in 2020 (IMF, April 2019). The government shutdown had its impact on growth. The US Fed had increased the interest rate a few times in 2018; however the growth moderation is expected to see a relatively dovish monetary policy stance. The US GDP in March 2019 grew by 3.1% as per the second estimate of the Bureau of Economic Analysis from 2.2% growth in real GDP in December 2018 quarter. The inflation in the US had remained below 2% level since December 2018 till March 2019. The unemployment rate came below 4% in March 2019 indicating continuous improvement in the labour market conditions. The industrial production grew by 2.8% in March 2019. The personal consumption expenditure exhibited moderate growth and exports increased at a sluggish rate in the last few months due to trade tensions.

Growth in the Eurozone is projected at 1.3% in 2019 (IMF, April 2019) from 1.8% in 2018. Growth in Germany moderated to 1.5% in 2018 from 2.5% in 2017 due to factors like sluggish industrial growth and softening in private consumption. Growth in other major Eurozone economies viz. France, Spain and Italy are also expected to moderate in 2019.

After growing by a healthy rate of 1.9% in 2017; the Japanese economy slowed down to grow by 0.8% in 2018 and is projected to grow by 1% in 2019 (IMF, April 2019) primarily due to fiscal stimulus.

Among the emerging economies, the Chinese economy grew by 6.4% in March 2019 unchanged from December 2018. Economic activities in China remained muted as indicated by the manufacturing PMI which contracted for three consecutive months from December 2018 to February 2019 and marginally increased in March 2019. The GDP is forecast to grow by 6.3% in 2019 (IMF, April 2019) from 6.6% in 2018.

As per the 2nd advance estimate; India's industrial value added grew by 7.7% in 2018-19 from 5.9% in 2017-18. The growth rate eased in agriculture sector to 2.7% in 2018-19 (2nd advance estimate) from 5% in 2017-18. The service sector had registered a growth of 7.4% in 2018-19 (2nd advance estimate) from 8.1% in 2017-18.

The overall growth in core industry came in at 4.3% in 2018-19 unchanged from 2017-18. On the other hand, growth rate of index of industrial production stood at 4% during April-February 2018-19 vis-à-vis 4.3% during April-February 2017-18.

The retail inflation measured by consumer price index increased to 5-months high of 2.86% in March 2019. For the full year of 2018-19, the inflation increased by 3.4% as compared to 3.6% in 2017-18.

The interim Union Budget 2019-20 presented in February 2019 pegged the total expenditure for 2019-20 at Rs.27,84,200 crore vis-à-vis Rs.24,57,235 crore (RE) in 2018-19. The fiscal deficit as percentage of GDP is kept at 3.4% for 2019-20 same as in 2018-19 (RE).

Banking industry

The banking industry has shown improvement in the asset quality with gross NPA ratio of the scheduled commercial banks declined from March 2018 to September 2018 as per RBI's Financial Stability Report (December 2018). The credit growth of scheduled commercial banks also improved from March 2018 levels. The government has taken various initiatives to support the banking industry. The recapitalization bonds issued by the government will boost the banking industry.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on March 31, 2019, the Total Business of the Bank was Rs.4,67,584 crore compared to Rs.4,72,323 crore as on March 31, 2018. High Cost Deposits have been reduced to Rs.57 crore as on March 31, 2019 from Rs.850 crore as on March 31, 2018.

Operating Profit of the Bank stood at Rs.3,127 crore for the financial year ended March 31, 2019 as compared to Rs.2,733 crore for financial year ended March 31, 2018. The Bank posted a Net loss of Rs.5641 crore in financial year ended March 31, 2019 as against Net loss of Rs.5,105 crore in financial year ended March 31, 2018, on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2019 stood at Rs.2,99,855 crore, after reduction of High Cost Deposits to the extent of Rs.793 crore. Saving Bank Deposits increased to Rs.1,22,139 crore with a growth of 10.52% in financial year ended March 31, 2019 from Rs.1,10,509 crore in financial year ended March 31, 2018. Similarly, Current Deposits increased to Rs.16,416 crore in financial year ended March 31, 2019 from Rs.14,687 crore in financial year ended March 31, 2018, registering a growth of 11.77%. The share of CASA Deposits to Total Deposits increased to 46.21% as of March 31, 2019 as against 42.46% as of March 31, 2018. Core Term Deposits reduced by 4.77% and reached to the level of Rs.1,61,243 crore as of March 31, 2018-19 from Rs.1,69,343 crore as of March 31, 2018.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

As per the original Roadmap announced by the Ministry of Corporate Affairs, all Banks (except RRBs) are required to prepare their Financial Statements according to Ind AS for accounting period beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018 or thereafter. The Bank had engaged services of an Ind AS Consultant and constituted a Core Ind AS Team and commenced the process of Ind AS implementation. Steering Committee headed by an Executive Director was formed to monitor the progress of implementation. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically has been reviewing the progress of the same.

On April 5, 2018, the RBI in their Statement on Development and Regulatory Policies stated that necessary legislative amendments to make the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, 1949, are under consideration of the Government. In view of this and also level of preparedness of many Banks, implementation of Ind AS in Banks has been deferred by RBI for one year by when the necessary legislative changes were expected. In view of this, Ind AS were to be implemented from April 1, 2019. However, RBI vide notification dated 22.03.2019, stated that the legislative amendments recommended by the RBI are under consideration of the Government of India. Accordingly, it has been decided by RBI to defer the implementation of Ind AS till further notice. As instructed by RBI, the Bank is regularly submitting quarterly Proforma Ind AS Financials to RBI from June 2018.

CREDIT

Gross Advances decreased to Rs.1,67,729 crore as on March 31, 2019 from Rs.1,77,484 crore as on March 31, 2018 with a negative growth of 5.50% on y-o-y basis.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

A well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up, Mitigating Measures and Reporting System is in place.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of Adjusted Net Bank Credit or Credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Affordable Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The credit deployment under priority sector increased to Rs.83,201 crore during 2018-19, recording a growth of Rs.366 crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth Rs.27,436 crore under PS Advances and purchased PSLCs worth Rs.5,885 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was Rs.21,551 crore. There is outstanding of RIDF to the tune of Rs.4,907.27 crore under Priority Sector of which Rs.3,075.97 crore under Agriculture as on 31.03.2019.

MSME DEPARTMENT

Performance under MICRO Enterprises:

- Bank achieved growth of 20.24% in number of accounts under Micro Enterprises.
- Percentage of Micro credit to MSE is 37.96% without Priority Sector Lending Certificate (PSLC) & 48.65% with PSLC.
- During the Financial Year 2018-19, settlement of claims under CGTMSE is Rs.35.62 crore in 483 accounts. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of accounts is 46.79%. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of amount is 32.12%.
- Under PMMY Bank's achievement is 58.28% of target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against target of Rs.3,550 crore, the Bank achieved Rs.2,069 crore under fresh disbursements as of March 31, 2019.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was Rs.48,666 crore as on 31.03.2019. The Retail portfolio of the Bank is 29.01 % of its total advances. Retail grew by 1.13% over previous year.

	31-03-2015	31-03-2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
RETAIL CREDIT	34939	38505	32008	48123	48666
TOTAL CREDIT	194967	190152	153008	177484	167729
RETAIL TO TOTAL CREDIT (%)	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%	29.01%

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 71 Authorized Dealer ('B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational efficiency.
- As on 31.03.2019, the Export Credit portfolio of the Bank reduced to Rs.5,314 crore from Rs.5,694 crore as on 31.03.2018.
- Merchant trade foreign exchange turnover was Rs.42,995 crore in FY 2018-19 as against Rs.42,332 crore in FY 2017-18.
- NRE Deposits increased from Rs.4,764 crore as on 31.03.2018 to Rs.4,941 crore as on 31.3.2019; an increase of 3.72% over the previous year.
- FCNR Deposits increased from USD 220.83 million as on 31.3.2018 to USD 226.73 million as on 31.03.2019; an increase of 2.67% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.1,29,219 crore (including Non-SLR, Non-Transferable Govt of India Recapitalisation Bond Rs.11,427 crore) as on 31st March, 2019 as against Rs.1,05,295 crore as on 31st March, 2018 thereby recording an increase of 22.72% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.35% as on 31st March 2019 vis-à-vis 7.40% as on 31.03.2018
- During the year RBI increased the Repo rates by 0.25 % twice in June and August 2018 and reduced by 0.25% in February 2019 effectively bringing the rate to 6.25% and also narrowed the policy rate corridor from 0.50% to 0.25%. Thus the Bank rate stood raised to 6.50%.

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

STRATEGY TO IMPROVE CAPITAL ADEQUACY

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2020. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR) on ongoing basis. Following steps are being taken by the Bank to improve Capital Adequacy norms:

I. The Bank has intends to raise equity capital upto Rs. 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) through various modes such as Follow-on-Public Issue, Rights Issue, Private Placement including Qualified Institutions Placements, etc. subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities

and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

II. Bank has consciously brought down the Credit Risk RWA/Total Advances Ratio from 80.34% in March 2018 to 71.91% in March 2019. Bank is making efforts to reduce the RWA by undertaking a number of capital optimization measures.

i. Bank has shifted its focus from corporate lending to RAM (Retail, Agriculture and MSME). Our corporate loan portfolio has reduced from 37% in March 2018 to 31% in March 2019.

ii. With regards to corporate loan book, bank is taking necessary steps to reduce the exposure to BB and below rated borrowers as these attract higher risk weights. As a result of this, bank's exposure to BB and below rate accounts has reduced from 44% of total corporate advances in March 2018 to 34% in March 2019.

iii. In the retail segment, the Bank is focusing on low RWA by increasing its exposure in housing loan, gold loan, education loan, CGTMSE guaranteed loans etc.

iv. Through focused approach towards resolution of NPA accounts, the Bank shall be ensuring substantial recovery and upgradation of NPAs to Performing Assets which will entail in write back of provisions thereby improving the Tier 1 Capital.

v. The focus in the Financial Year 2019-20 will be to book quality advances and investments to increase the earnings thereby improving the Tier 1 Capital.

RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of Assets to ARCs, Wilful Defaulters, One Time Settlement (OTS) Schemes. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in economy and trends in NPA Resolution/Management. The Bank launched Non Discretionary and Non Discriminatory (NDND) OTS Scheme in Q4.

1. During the year 2018-19, though there was Cash Recovery of Rs.5,718 crore (inclusive of Recovery in written off accounts Rs.557 crore) and Up-gradation of Rs.567 crore aggregating to Rs.6,285 crore, the performance was impacted by fresh accretion of some high value NPA accounts. (27 accounts of Rs.50 crore and above amounting to Rs.3,180 crore).

 - Gross NPA level has decreased from Rs.38,131 crore as on 31.03.2018 to Rs.32,356 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs.5,775 crore.
 - Net NPA has decreased from Rs.17,378 crore as on 31.03.2018 to Rs.11,333 crore as on 31.03.2019 i.e. by Rs.6,045 crore.
 - Gross NPA percentage and Net NPA percentage have decreased from 21.48% to 19.29% and from 11.10% to 7.73% respectively.
 - Cash Recovery has increased substantially from Rs.2,403 crore in FY 2018 to Rs.5,161 crore in FY 2019 (114.77%).
 - Cash Recovery in Written off accounts has increased from Rs.410 crore in FY 2018 to Rs.557 crore in FY 2019 (35.85%).

2. 4 One Time Settlement (OTS) schemes were introduced in the FY 2018-19. The schemes had got good response and sizeable number of NPA accounts were settled under the schemes. Total Cash Recovery through OTS in FY 2018-19 was Rs.1,425.66 crore.

3. During the year, Bank sold 6 NPA Accounts to Asset Recovery Companies (ARCs) under Swiss Challenge Method on 100% Cash basis thereby recovering Rs.1,405.55 crore resulting in reduction in NPA to the extent of Rs.3,618 crore and write back of provisions of Rs.540.66 crore.

4. Recovery in NPA accounts was major thrust area for the year 2018-19. The movement of NPA is being monitored closely by our executives on daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and action under SARFAESI are being reviewed during review meetings on regular basis and video conferences are being held with RMs and ZMs on monthly basis.

5. All NPA accounts above Rs.5.00 crore are discussed with the field functionaries. Necessary guidelines are issued accordingly. Recovery action is initiated by Regional Managers, Zonal Managers in the accounts. Progress made in

the NPA accounts were reviewed in video conferences held on monthly basis. The Accounts are assigned to Zonal Coordinators at Central Office for regular follow up.

6. Recovery Camps are being organized every day. In such camps, recovery in written off accounts is also a part of this Recovery Drive.
7. Asset Recovery Branches (ARBs) are being closely monitored to improve the Recovery performance.
8. National Lok Adalat at District level being organized on quarterly basis with active participation of ROs/ZOs and Law Officer.

Strategy for NPA Management

NPA management is the core focus area of the Bank. Our thrust will be on reduction of NPAs through Cash Recovery, Upgradation, Compromise Settlement and other recovery measures as under:

- To reduce NPA level, Bank has introduced, New Non-Discretionary/Non-Discriminatory (NDND) Special OTS Scheme 2019-20 for DA1, DA2, DA3, Loss accounts & PWO/TWO A/Cs with outstanding up to Rs.10 Crore.
- Focus shall also be on Net Present Value (NPV) based OTS Approach covering all NPA Accounts.
- Sale of NPA accounts to ARCs under Swiss Challenge Method
- Resolution through NCLT/ IBC 2016.
- Restructuring of debts where the units are commercially viable.
- Targeting 50% reduction in NPA A/cs during this Financial Year.
- Emphasis on Recovery in Written off Accounts.
- Suitable Action against the Wilful Defaulters/ Non Co-operative Borrowers
- Speeding up recovery process through DRTs in time-bound manner
- NPA Sectoral/Portfolio review at regular intervals.

BANCASSURANCE

- Bank canvassed 20883 policies with premium of Rs.176 crore in Life Insurance Business.
- Under General Insurance business, Bank mobilized 1,86,065 policies with premium collection of Rs.74 crore.
- Total earning from Bancassurance business was Rs.20.61 crore.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital Market Services Branch located at Fort, Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 28585 Demat account holders.

Capital Market Services Branch in Mumbai offers capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for Demat and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank has 100% coverage of branches under Core Banking Solution (CBS) . The Bank has put in place a state-of-the-art IT infrastructure and has automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the services to the customers. Internet Banking Facility is available in 7 languages - English, Hindi, Marathi, Punjabi, Gujarati, Bengali and Kannada. Cent Mobile is a Mobile Banking Application of the Bank. Users can access most of the banking services anywhere anytime through mobile device.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit (RBIA) through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly out of total 4,659 branches, 4,449 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated in FY 2018-19. Overall there were 3106 branches placed under Medium Risk Rating, 1,449 branches with Low Risk Rating, 90 branches with High Risk Rating and 3 branches under Very High Risk as on 31.03.2019. No branch of the Bank is rated under Extremely High Risk category.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2019, Bank has network of 4,659 branches, 3,966 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 635 Districts out of 707 districts in the country.

OPERATIONS

- Bank's expanded modernized Call Center is providing out bound call Facility for promotion of products / reminders to customers regarding overdues in their loan accounts etc. in addition to inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers.
- Online subscription facility for Sovereign Gold Bonds is made available to the customers.
- New pension software -GBM-Pension Module has been introduced to improve speed, accuracy and security in pension processing system; it will provide SMS to pensioners regarding details of payment and prompt revisionary benefits.
- As per Road Map for Banking Reforms of Government of India, the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF - Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.
- SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch or Call Centre on 1800221911.
- Banking Facility for Senior Citizens and Differently Abled Persons:-

 We have walked an extra mile by introducing Door Step Banking Services for physically challenged and Senior Citizens customers. To begin with we are extending following Services at reasonable service charges:-

 Pick up of Cash and instrument against receipt for credit to account, Delivery of Cash against withdrawal from the account, Delivery of Demand Drafts, Submission of Know Your Customer (KYC) documents and life certificate at the premises/ residence of such customers, form no 15 H, other Basic Bank Service e.g. delivery of cheque Book. These services will be rendered within the radius from 3 KM area of the Home Branch. Service charges are Rs.50/- per Occasion (plus cash handling charges/ DD Charges and Service Charges/ Taxes applicable.
- Now Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme /Sukanya Samriddhi Accounts /KVP in any of the branch of their choice.
- Complaints of the customers are resolved promptly; disposal time has been reduced to ten days.
- Task of CKYCR will be done on priority; and we plan to complete in FY 2019-20.

RAJBHASHA

Our Bank was awarded by various prizes during the financial year 2018-19 :-

State level Prize : -

- Our Zonal Office Hyderabad was awarded with "First Prize" by Telangana State Level Bankers' Committee for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.

Ministry of Home Affairs prize :-

- On the occasion of Hindi Diwas on 14th September, 2018 Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Department awarded "Second Prize" of prestigious "Rajbhasha Kirti Puraskar" to Town Official Language Implementation Committee (Bank), Bhopal convened by our Bank.
- Our Mumbai Zonal Office was awarded "First Prize" under linguistic area "B" and our Panaji Regional Office was awarded "First Prize" under linguistic area "C" by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Town Official Language Implementation Committee, Panji, convened by our Bank was awarded "First Prize" by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the implementation of Official Language Policy of Government of India.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronics, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis, various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Utility Kiosks, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train, Shikaras branding etc. were done in addition to the sponsorship of Local Sports/Yatras/Events/Kisan Camps/ Conferences at the field level. To support these activities Local Cable, FM Radio, Mobile App, Ads in Cinemas were also used.

VIGILANCE

1] Systemic Improvement:

During the year the following systemic improvements were undertaken:

a) SWIFT messaging system has been integrated with the CBS system and all entries in SWIFT are now routed through the CBS/FX24 Platform.

b) Improvements in the existing CLASS module for processing Retail loans are under implementation.

c) For effective monitoring and as a preventive tool, incoming RTGS / NEFT Reports are made available on same day.

2] Vigilance Awareness Week 2018:

As per the directives received from CVC, "**Vigilance Awareness Week 2018**" was observed by bank from 29.10.2018 to 03.11.2018 in the right spirit and in line with this years' theme "**Eradicate Corruption to Build a New India**". On 29.10.2018, pledge was administered to the staff working at various departments of Central office. Similar functions were also arranged at all the 13 Zonal Offices, 59 Regional Offices and the Branches of the bank and Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Our Bank provided hyperlink to CVC's website to enable customers and staff to take e-pledge.

Bank has sent 24.20 million SMS to customers thereby providing hyperlink to CVC site to take Integrity Pledge during the Vigilance Awareness Week.

Mass pledge was administered to customers, as well as general public in the Rural and Semi Urban areas where technical issues were faced for taking e-pledge. Bank was successful in uploading a total of 7,42,000 Mass Pledges in the CVC site.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MANPOWER:

At the end of financial year on March 31, 2019, the staff strength of the Bank stood at 35,675 as against 36,843 at the end of financial year on March 31, 2018. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2017	March 2018	March 2019
Officers	16247	17166	16868
Clerks	13001	12300	11766
Sub-staff	7796	7377	7041
Grand Total	37044	36843	35675

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENT BANK HOME FINANCE LIMITED:

- Net Owned funds stood at Rs.111.57 crore as on March 31, 2019.
- During the year the total advances of the company stood at Rs.1270.79 crore as on March 31, 2019 as against Rs.1266.09 crore as on March 31, 2018.
- The retails deposits and institutional deposits stood at Rs.482.33 crore as on March 31, 2019 as against Rs.542.84 crore as on March 31, 2018.
- The Net Profit of the Company stood at Rs.16.28 crore for the financial year 2018-19 as against Rs.16.84 crore for financial year 2017-18.
- Earnings per Share are Rs.6.51 (Rs.10 per share) [Previous Year Rs.6.73].
- NPA stood at Rs.27.97 crore for the year ended March 31, 2019 as against Rs.26.90 crore for the year ended March 31, 2018.
- Net NPA to Net Advances is at 1.26% as on March 31, 2019.
- Return on Assets is 1.26%. [Previous year 1.26%].
- CAR works out at 17.88% as on 31st March 2019.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- The company earned a Net Profit after Tax of Rs.2.70 crore for the year ended 31st March 2019 against Net Profit of Rs.2.58 crore for the previous year ended 31st March, 2018.
- Segment-wise earnings:

(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
Fees from Executor Trusteeship	43,24,805	34,85,414
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,70,82,673	2,90,70,143
Other income (Interest, Dividend, etc)	2,51,22,941	2,81,65,842
Total	**5,65,30,419**	**6,07,21,398**

- EPS is Rs.541.00 for FY 2018-19 as against Rs.517.60 for the FY 2017-18.

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three Indian Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- Bank's financial year is the calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2018, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwatcha 1 each value.
- Deposits of the Bank have increased by 24.21% and advances have increased by 34.00% over the previous year.
- Bank has made net profit of Kwacha 139.76 Mio. (Rs. 80.65 Crore) for the calendar year 2018.

iv. Regional Rural Banks :

We have sponsored 3 RRBs as on 31st March, 2019 in 3 states covering 48 districts with a network of 1,629 branches.

(Amount in crore)

Unaudited

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (MP)#	25/455	–	–	–	–
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	15499.85	8101.59	2282.47	16.78
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (WB)	5/142	3014.96	1713.47	158.40	10.98
Total	**48/1629**	**18514.81**	**9815.06**	**2440.87**	**27.76**

#As per Govt. Notification, Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB) is being merged with another RRB sponsored by Bank of India.

AWARDS & ACCOLADES

- The Bank received the Atal Pension Yojana Award from Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi for Leadership Capital to recognize the performance of Banks and their leadership in promoting the scheme in various geographical locations of the country.
- The Bank was awarded by Indian Bank's Association (IBA) for Most innovative Product Category

CORPORATE GOVERNANCE

1) Bank's Philosophy of Corporate Governance

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

- The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

- During the year under review i.e. 2018-19, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
1	Shri Tapan Ray	Non-Executive Chairman	From 23.05.2018	NIL	Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreigh Trade, Public Policy and Administration	RMC LVFC SRC RC HR NC	RMC LVFC SRC RC HR NC	NIL	Yes
2.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013 to 22.05.2018	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	(1) Indo Zambia Bank Ltd. (2) Exim Bank (3) Export Credit Guarantee Corporation (4) Indian Institute of Banking & Finance	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
		Managing Director and Chief Executive Officer	From 23.05.2018 to 31.07.2018			MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD		
3	Shri Pallav Mohapatra	Managing Director and Chief Executive Officer	From 21.09.2018		Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	(1) Member of the Governing Board of NIBM (2) Member of the Governing Board of IIBF (3) Member of the Governing Board of IIBM, Guwahati	Not a Director on the date of AGM
4.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014 To 22.01.2019	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Not Applicable	Yes
5.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, ACB RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	(1) Cent Bank Home Finance Ltd. (2) New India Assurance Co. Ltd.	Not Attended
6.	Shri B S Shekhawat	Executive Director	From 09.10.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
7	Shri Alok Srivastava	Executive Director	From 23.01.2019	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
8	Shri Govind Mohan	Government of India Nominee Director	From 17.08.2017 to 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VC, MRC, HR, NC	RC, NC	Not Applicable	Not a Director on the date of AGM
9	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Government of India Nominee Director	From 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VC, MRC, HR, NC, ITS	NIL	IFCI	No
10	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VC	NIL	NIL	No
11	Shri K.R. Patel	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015 to 30.06.2018	163	Chartered Accountant	MCB, ITS, SRC, RMC, CSC, HR, RCNCB, CRIWD	ITS SRC	Not Applicable	No
12	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NC, RCNCB, CRIWD CC	ACB ITS CC	NIL	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2019	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2019		Directorship of other Companies as on 31.03.2019	Whether attended last AGM held on 30.06.2018
						Member	Chairman		
13	Dr. Atmanand	Part Time Non-official Director	From 27.12.2017	NIL	Economics	MC CSC ITS SRC MRC NC CC	NIL	PTC India Ltd.	No
14	Smt. Mini Ipe	Shareholder Director	From 01.07.2018	100	Finance	MC RMC SRC MRC CC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB - Management Committee of the Board
ACB - Audit Committee of the Board
RMC - Risk Management Committee
LVFC - Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
CSC - Customer Service Committee
ITS - Information Technology Strategy Committee
SRC - Stakeholders Relationship Committee
RC - Remuneration Committee
VIG - Vigilance Committee
CAC - Credit Approval Committee
HR - Human Resources Committee
MRC - Committee of the Board for Monitoring of Recovery
CRC - Capital Raising Committee
NC - Nomination Committee
RCNCB - Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
CRIWD - Committee to review the Identification of Wilful Defaulter
CC - Compensation Committee

The Board of Directors met 16 times during the financial year 2018-19.

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2019, it comprised 7 members consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director and one Part Time Non-Official Director, one position is vacant. The Part-Time Directors are rotated every six months. The Management Committee of the Board met 20 times during the financial year 2018-19.

Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto Rs.400.00 crore, compromise / write off proposals upto

Rs.10.00 crore etc. The Present Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Accounts/Finance and Recovery. The Credit Approval Committee met 21 times during the financial year 2018-19.

Audit Committee of the Board

Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. Audit Committee of the Board comprises of Executive Director in charge of Central Audit and Inspection, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them to be the Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2019, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee. Audit Committee of the Board also reviews unaudited quarterly financial results and audited annual financial results of the Bank and recommends the same for approval of the Board of Directors. The Audit Committee met 11 times during the financial year 2018-19.

Risk Management Committee

Risk Management Committee was constituted by the Board vide Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC) BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and based on the suggestions of Dr. Ganguly Group report set up by the Reserve Bank of India. The committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Director, Executive Directors, Government of India Nominee Director and Two Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The objective of Risk Management Committee of the Board is to evaluate overall risks faced by the Bank and determining the level of risks which will be in the best interest of the Bank and to coordinate with the other risk managing entities to identity, monitor and measure the risk arising out of the Bank's operations. The Committee met 4 times during the financial year 2018-19.

Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- The Remuneration Committee of the Board was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20/1/2005-B0-I dated 09.03.2007 read with communication No. 16/65/2011-BO.I dated 21.02.2012 for payment of performance-linked incentive to Whole-time Directors. The Committee consists of Non-Executive Chairman, Government of India, Reserve Bank of India Nominee Director and two other Directors. During the Financial Year 2018-19, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Whole-time Directors.

- The Non Official Independent Directors / Non- Executive Directors were paid sitting fees of Rs.20,000 up to 17.01.2019 and thereafter Rs.40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and similarly, Rs.10,000 up to 17.01.2019 and thereafter Rs.20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India. Reserve Bank of India Nominee Director was paid sitting fees with effect from 1st August 2018 as he was superannuated from Reserve Bank of India on 31.07.2018. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of Rs.10,000 and Rs.5,000 respectively were paid.

- During the financial year 2018-19, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks as under:

Sr.	Name	Rupees in lacs
1	Shri Pallav Mohapatra (MD & CEO)	14.68
2	Shri Rajeev Rishi (CMD / MD & CEO)	39.50
3	Shri B. K. Divakara (ED)	46.55
4	Shri P. R. Murthy (ED)	24.98
5	Shri B. S. Shekhawat (ED)	24.47
6	Shri Alok Srivastava (ED)	4.60

- During the year under review, the Bank has paid Rs.19,10,000/- (Rupees Nineteen Lakh Ten Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.19,95,000/- (Rupees Nineteen Lakh Ninety Five Thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Nomination Committee:

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constituted to undertake the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity.

During the financial year 2018-19, meeting of the Nomination Committee was held on 17.05.2018 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Director- Shri Ketul R. Patel and the committee accorded 'fit and proper status' to Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Director under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July, 2015 to 30th June, 2018. Another meeting of the Committee was held on 18th June, 2018 whereby 'Fit and Proper' status was accorded to Smt. Mini Ipe for her election as Shareholder Director on the Board of the Bank.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Ketul Patel was Chairperson of Stakeholders Relationship Committee (SRC) till 5th May 2018. However, pursuant to the appointment of Non-Executive Chairman, Chairman of the Committee is the Non-Executive Chairman. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the financial year 2018-19.

The details of Investor Grievances for the year 2018-19 (from 01.04.2018 to 31.03.2019) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	01
3	Non Receipt of Dividend Warrants	25
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	40
5	Non Receipt of Refund Order	01
6	Non Receipt of Rejected DRF's	01
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	05
8	Total Grievances received	73
9	Total Grievances attended/resolved	73
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Deputy General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue and Debenture Trustee Activities.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the financial year 2018-19, Bank has raised Rs.6592.00 crore equity capital (including Rs.2354 crore received by the Bank on 19-09-2018, Rs.1678 crore received by the Bank on 31-12-2018 and Rs.2560 crore received by the

Bank on 21-02-2019) by issuance and allotment of 142,90,45,682equity shares (comprising of 35,43,57,970 equity shares at an issue price of Rs.66.43 per equity share including premium of Rs.56.43 per equity share aggregating to Rs.2354 crore, 38,74,39,390 equity shares at an issue price of Rs.43.31per equity share including premium of Rs.33.31 per equity share aggregating to Rs.1678 crore and 68,72,48,322 equity shares at an issue price of Rs.37.25 per equity share including premium of Rs.27.25 per equity share aggregating to Rs.2560 crore of the face value of Rs.10 each aggregating to Rs.6592 crore to President of India (Government of India) on preferential basis.

Bank has also raised Equity Capital from eligible employees under the Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) aggregating to Rs.212,53,38,048 at an issue price of Rs.27 per equity share including premium of Rs.17 per equity share. The money is kept in the Share Application Money account, Allotment for which is pending.

Bank has raised Rs.500.00 Crore by issuance and allotment of Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds (Series-III) in the nature of promissory notes of the face value of Rs.10.00 Lakh each on private placement basis and have allotted 5000 bonds of Rs.10.00 Lakh each.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

General Shareholder Information

12th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 28th June, 2019 at 12:00 Noon at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at 'Chandermukhi', Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2018-19
2. Date of Book Closure: 25th June, 2019 to 28th June, 2019 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2018-19.

Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Eleventh Annual General Meeting	30th June, 2018 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Tenth Annual General Meeting	30th June, 2017 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
3.	Ninth Annual General Meeting	30th June, 2016 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for financial year 2019-20 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2019

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
Total		**4800.00**	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2019-20 to the Exchange.

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/ complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-49186270
Fax: 022-49186060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

DGM / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2019 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	100	127740	0.003
NSDL	85468	321741261	7.950
CDSL*	56661	3725332436	92.047
Total	**142229**	**4047201437**	**100.00**

*As on 28.03.2019, the Bank allotted 68,72,48,322 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 11.04.2019. There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2019 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2018-19.

Place : Mumbai
Date : May 22, 2019

Sd/-
[Pallav Mohapatra]
Managing Director and Chief Executive Officer

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2018-19 and to the best of our knowledge and belief:

 I. These Statements do not contain any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

 II. These Statements together, present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the financial year 2018-19, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:

 I. Significant changes in internal control over financial reporting during the financial year 2018-19.

 II. There are no significant changes in accounting policies during the financial year 2018-19 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements and,

 III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(B.K.SINGAL)
General Manager & CFO

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : May 15, 2019

C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2019 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
PARTNER
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A.V.KAMAT)
PARTNER
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
PARTNER
M.No.093348

Place: Mumbai

Date: May 15, 2019

S.K.MEHTA& CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Tower, 26, Rajendra place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz (East), **MUMBAI-400055**
MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1,Vile Parle East, **Mumbai-400057**	**AAJV AND ASSOCIATES** Chartered Accountants LGF-C-73,Lajpat Nagar-II, **New Delhi-110024**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Central Bank of India('the Bank') which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Profit and Loss Account and theCash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the Returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 2549 branches audited by other statutory auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance sheet and Profit and Loss Account are the returns from 2090 branches which have not been subjected to audit. These Unaudited branches account for 9.75 percent of advances, 27.61 per cent of deposit, 5.90 per cent of interest income and 25.17 per cent of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

 a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019;

 b. true balance of loss, in case of Profit and Loss account for year ended on that date; and

 c. true and fair view of cash flows in case of the Cash Flow Statement for the year ended as on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of theStandalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2019. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' Response
1. Loans & Advances Identification and provisioning of Non performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 5 of Schedule 17 to the financial statements) Advances comprise a substantial portion of the Bank's total assets.The management exercises significant judgment in the asset classification and provisioning. and valuation of the security involves high degree of estimation and judgment, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively,and in view of the materiality of advances to the total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered by us as a key audit matter.Identification of such non-performing advances is carried out in the Bank, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein. The management also exercises significant judgment in adherence to the IRAC norms and adequate provisioning in required cases.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; • we have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances ; In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI in this regards, we have verified whether both CBS system and the management have, (a) timely recognised the depletion in the value of available security; (b) made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification. We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the Statutory Branch Auditors' as well as all MOCs both at branches as well as at H.O. level. Reliance also placed on the Audit Reports of the Statutory Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning. The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory, considering the materiality.
2. Investments Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investment also comprise, a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial statements)	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular, – We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	– For selected sample of investments, tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. – We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. – We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.
3. Information technology(IT) systems used in financial reporting process The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: • we obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • we tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • we also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements. Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon. The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory.

Information other than the financial statements and Auditors' report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report including annexure, the Corporate Governance Report and Management Discussion and Analysis, but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

 Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and the Basel III disclosure, we will not express any form of assurance conclusion thereon.

 In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

 When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors' Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

 As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 - Identify and assess the risks of material misstatement of financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our option. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosure in the Standalone

Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charge with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charge with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements/ information of 2549 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflect total advances of ₹ 96,589.14 crore as at March 31, 2019 and the total interest income of ₹ 17,577.07 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

 Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:

 a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory:

 b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

 c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

11. We further report that:

 a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

 b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place : Mumbai

Date : 15th May 2019

S.K.MEHTA& CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Tower, 26, Rajendra place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz (East), **MUMBAI-400055**
MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1,Vile Parle East, **Mumbai-400057**	**AAJV AND ASSOCIATES** Chartered Accountants LGF-C-73,Lajpat Nagar-II, **New Delhi-110024**

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged Balance Sheet of Central Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2019, the abridged Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification by Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2019 drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and covered by our Independent Auditors' report dated May 15, 2019, which is attached hereto.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place : Mumbai

Date : 15th May 2019

ABRIDGED BALANCE SHEET OF CENTRAL BANK OF INDIA AS AT MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2019 (Current Year)	As at March 31, 2018 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	**4,04,720.14**	**2,61,815.58**
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	**2,06,359.79**	2,06,359.79
Capital Reserve	**4,24,011.05**	4,23,938.13
Share Premium	**22,15,383.34**	16,99,087.91
Revenue and Other Reserves	**2,58,112.73**	2,52,667.72
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	**10,000.00**	10,000.00
Balance in Profit & Loss a/c.	**(16,25,101.39)**	(10,55,315.77)
Total	**14,88,765.52**	**15,36,737.78**
Share application Money pending allottment	**21,254.09**	**-**
Deposits		
Demand Deposits	**16,41,655.38**	14,68,648.68
Savings Bank Deposits	**1,22,13,886.74**	1,10,50,928.92
Term Deposits	**1,61,30,001.56**	1,69,64,308.13
Total	**2,99,85,543.68**	**2,94,83,885.73**
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	**-**	-
(b) from other banks	**444.71**	115.34
(c) from other institutions and agencies	**29,551.45**	41,086.28
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	**50,000.00**	77,000.00
(e) Upper Tier II bonds	**2,30,000.00**	2,88,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	**13,910.00**	13,910.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds	**2,00,000.00**	1,50,000.00
2. Borrowings outside India	**-**	-
Total [1 & 2]	**5,23,906.16**	**5,70,611.62**
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	**64,542.86**	69,186.35
Inter-office adjustments (net)	**-**	55,264.39
Interest accrued	**83,719.40**	77,601.43
Provisions towards standard assets	**47,883.47**	-
Deferred Tax Liability (net)	**-**	-
Others	**4,51,431.07**	5,67,424.66
Total	**6,47,576.80**	**7,69,476.83**
Total Capital and Liabilities	**3,30,71,766.39**	**3,26,22,527.54**
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	20,77,908.50	35,99,990.88
Total	**20,77,908.50**	**35,99,990.88**
Balances with Banks and money at call and short notice	6,724.70	11,600.90
Balances with Banks in India		
Money at call and short notice in India	**10,34,663.71**	2,01,073.48
Balances outside India	**696.17**	1,10,178.27
Total	**10,42,084.58**	**3,22,852.65**
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	**96,20,602.71**	81,31,713.45
(b) Other approved securities	**-**	-
(c) Shares	**83,420.97**	1,26,116.55
(d) Debentures and Bonds	**21,46,943.17**	14,22,051.98
(e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**30,399.87**	30,399.87
(f) Others	**6,43,691.40**	5,48,130.52
2. Outside India	**4,748.85**	4,748.85
Total [1 & 2]	**1,25,29,806.97**	**1,02,63,161.22**

ABRIDGED BALANCE SHEET OF CENTRAL BANK OF INDIA AS AT MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2019 (Current Year)	As at March 31, 2018 (Previous Year)
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	**1,11,087.22**	1,21,087.70
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	**70,50,212.60**	70,53,098.54
(c) Term Loans	**74,91,236.24**	84,80,031.47
2. Outside India	**-**	-
Total [1 & 2]	**1,46,52,536.06**	**1,56,54,217.71**
Fixed assets	**4,31,024.38**	**4,34,338.11**
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	**12,559.27**	-
Interest accrued	**1,84,623.54**	1,67,855.95
Tax paid in advance/ deducted at source	**5,16,344.57**	5,34,812.35
Deferred Tax Asset (net)	**7,89,401.00**	5,36,803.00
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
Stationery and Stamps	**2,018.11**	1,998.46
Others	**8,33,459.41**	11,06,497.21
Total	**23,38,405.90**	**23,47,966.97**
Total Assets	**3,30,71,766.39**	**3,26,22,527.54**
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	**10,524.91**	11,039.50
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc.	**2,56,915.53**	2,97,990.58
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**64,44,322.69**	92,83,133.29
Guarantees given on behalf of constituents	**12,28,426.37**	10,72,501.31
Acceptances, endorsements and other obligations	**6,61,572.13**	12,30,092.67
Other items for which the bank is contingently liable	**64,533.61**	44,267.73
Liability for Partly paid investments	**524.98**	761.40
Total	**86,66,820.22**	**1,19,39,786.48**
Bills for collection	**16,24,739.15**	**14,48,606.70**

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019

ABRIDGED PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2019 (Current Year)	For the year ended March 31, 2018 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	**12,94,974.63**	14,47,875.36
On investments	**8,45,423.99**	7,13,736.32
On balances with RBI and inter-bank funds	**87,280.57**	2,05,854.42
Others	**36,177.88**	36,085.61
Total	**22,63,857.07**	**24,03,551.71**
Other income		
Commission, exchange and brokerage	**1,20,381.26**	1,26,247.51
Net profit on sale of investments	**21,518.79**	57,667.55
Net profit on sale of land, buildings and other assets	**(442.69)**	(449.82)
Net profit on exchange transactions	**14,043.72**	14,090.54
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	**522.00**	1,009.72
Miscellaneous income	**85,270.60**	63,669.63
Total	**2,41,293.68**	**2,62,235.13**
Total income	**25,05,150.75**	**26,65,786.84**
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	**15,27,632.30**	16,22,268.90
On RBI/ inter-bank borrowings	**476.90**	457.04
Others	**58,529.78**	1,29,124.85
Total	**15,86,638.98**	**17,51,850.79**
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	**3,56,522.16**	3,98,337.03
Rent, taxes and lighting	**47,242.67**	47,467.38
Printing and stationery	**2,877.39**	3,626.98
Advertisement and publicity	**1,057.10**	2,414.56
Depreciation on bank's property	**27,772.42**	26,030.90
Director's fees, allowances and expenses	**145.57**	106.22
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	**3,034.12**	1,985.92
Law charges	**1,672.76**	1,712.72
Postage, telegrams, telephones etc.	**8,992.75**	6,634.47
Repairs and maintenance	**9,889.42**	11,327.48
Insurance	**30,008.04**	35,717.63
Others	**1,16,648.10**	1,05,275.60
Total	**6,05,862.50**	**6,40,636.89**
Total Expenses	**21,92,501.48**	**23,92,487.68**

ABRIDGED PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2019 (Current Year)	For the year ended March 31, 2018 (Previous Year)
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	**98,388.06**	79,416.00
Provision towards non performing assets	**10,62,630.24**	9,59,856.11
Provision towards standard assets	**(11,492.71)**	630.76
Others (excluding income taxes)	**(19,853.98)**	22,992.91
Total	**11,29,671.61**	**10,62,895.78**
Total expenses and provisions	**33,22,173.09**	**34,55,383.46**
Profit/(loss) before Prior period item and tax	**(8,17,022.34)**	(7,89,596.74)
Less: Prior period Item	**-**	-
Profit/(Loss) after exceptional/Prior period Item before Tax	**(8,17,022.34)**	(7,89,596.74)
Current tax	**-**	22,328.00
Deferred tax	**(2,52,874.35)**	(3,01,435.00)
Profit/(loss) after tax	**(5,64,147.99)**	**(5,10,489.74)**
Profit/ Loss brought forward	**(10,55,315.77)**	**(5,35,639.17)**
Total	**(16,19,463.77)**	**(10,46,128.92)**
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	**-**	-
Investment Reserve	**5,637.62**	9,186.85
Staff Welfare Fund	**-**	-
Revenue Reserves	**-**	-
Proposed Dividend - Preference Capital	**-**	-
Proposed Dividend - Equity Capital	**-**	-
Fund in lieu of Insurance	**-**	-
Dividend Tax	**-**	-
Balance carried forward to balance sheet	**(16,25,101.39)**	**(10,55,315.77)**

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019

NOTES TO ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

1. Basis of Preparation:

The abridged Financial Statements have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2019 (hereinafter referred to as 'Annual Standalone Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank are contained in Schedule 17 of the 'Annual Standalone Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Annual Standalone Financial Statements.

(ALOK SRIVASTAVA)
Executive Director

(B S SHEKHAWAT)
Executive Director

(P. RAMANA MURTHY)
Executive Director

(PALLAV MOHAPATRA)
Managing Director & CEO

(TAPAN RAY)
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

Place: Mumbai
Date : May 15, 2019

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2019	31- 03- 2018
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	**(8,170.22)**	**(7,895.97)**
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	**277.72**	260.31
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	**983.88**	794.17
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**10,626.30**	9,564.62
	Provision for Standard Assets	**(114.93)**	6.31
	Provision for Other items (Net)	**(198.54)**	263.86
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	**4.43**	4.50
	Dividend Received from Subsidiaries	**(5.22)**	(10.10)
	Sub total	**3,403.42**	**2,987.70**
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	**5,016.58**	(1,832.33)
	Increase / (Decrease) in Borrowings	**(467.06)**	(3,576.33)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(1,103.64)**	(1,835.07)
	(Increase) / Decrease in Advances	**(609.48)**	(26,708.03)
	(Increase) / Decrease in Investments	**(23,650.34)**	(11,330.90)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	**2,635.47**	(1,807.22)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	**187.43**	(293.85)
	Sub total	**(17,991.04)**	**(47,383.73)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(14,587.62)**	**(44,396.03)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	**3.48**	4.12
	Purchase of Fixed Assets	**(254.12)**	(314.25)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	**5.22**	10.10
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(245.42)**	**(300.03)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	**6,592.00**	5,158.00
	Share Application Money	**212.54**	-
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**-**	-
	Dividend Tax	**-**	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**6,804.54**	**5,158.00**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**(8,028.50)**	**(39,538.06)**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2019	31- 03- 2018
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**35,999.91**	75,086.76
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**3,228.53**	3,679.74
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**39,228.44**	**78,766.50**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**20,779.09**	35,999.91
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**10,420.85**	3,228.53
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**31,199.94**	39,228.44

Notes:

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 15, 2019

S.K.MEHTA& CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Tower, 26, Rajendra place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz (East), **MUMBAI-400055**
MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1,Vile Parle East, **Mumbai-400057**	**AAJV AND ASSOCIATES** Chartered Accountants LGF-C-73,Lajpat Nagar-II, **New Delhi-110024**

AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF CENTRAL BANK OF INDIA PURSUANT TO THE REGULATION 33 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To

The Board of Directors of Central Bank of India

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Results of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and share of profit or loss of its associates for the year ended March 31, 2019 (the "Statement"), being submitted by the Parent Bank pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. This statement which is the responsibility of the Parent Bank's management and approved by the Board of Directors, has been prepared in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India along with recognition and measurement principle's laid down in Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Parent Bank and Reserve Bank of India guidelines from time to time. Our responsibility is to express an opinion on the presentation of the statements and financial results for the year ended March 31, 2019.

2. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial results are free of material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the statement. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of risk of material misstatement of the Statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Group's and its Associate's preparation and fair presentation of the Statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the Statement. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the branch auditors and other auditors in terms of their report of Subsidiary Company and unaudited financial statement provided by Associates' management is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.

3. These financial results incorporate the relevant returns of 20 Branches audited by us, 2549 branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose and un–audited returns in respect of 2090 branches of the Parent Bank.

4. (i) We did not audit the financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements of two subsidiaries whose financial statement reflect total assets of ₹1442.88 crore as at March 31, 2019, total revenue of ₹146.50 crore and net cash inflows of ₹71.63 crore for the year ended March 31, 2019. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

 (ii) The Consolidated Financial Statement also includes the Group's share of net profit after tax of ₹16.59 crore for the year ended March 31, 2019, as considered in the consolidated financial statements in respect of 4 associates, whose financial statements has not been audited by us. The financial statements of 3 associates namely

Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Uttar Bihar Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank are unaudited and have been furnished to us by the Management. In case of an associate namely Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year, share in profit has been taken for nine months ended December 31, 2018 based on audited financial statements for the calendar year ended December 31, 2018 and profit for three months ended March 31, 2019 is taken based on unaudited financial statements as furnished by the Management. Our opinion and our report on the consolidated financial statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management of the Bank, the impact of the above is not material to the Group.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors and management's certified financial statements as referred to in paragraph 4 above, the Statement :

i) includes the results of the following entities included in the consolidation

(a) Subsidiaries

(i) Cent Bank Home Finance Ltd.

(ii) Cent Bank Financial Services Ltd.

(b) Associates

(i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara

(ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur

(iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(iv) Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia

ii) have been presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in this regard; and

iii) give a true and fair view of the consolidated net loss and other financial information for the year ended March 31, 2019 of the Group.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai

Date: May 22, 2019

S.K.MEHTA& CO Chartered Accountants 302-306, Pragati Tower, 26, Rajendra place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants 21/168, Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz (East), **MUMBAI-400055**
MUKUND M CHITALE & CO Chartered Accountants II Floor, Kapur House, Paranjape 'B' Scheme, Road No. 1,Vile Parle East, **Mumbai-400057**	**AAJV AND ASSOCIATES** Chartered Accountants LGF-C-73,Lajpat Nagar-II, **New Delhi-110024**

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged consolidated Balance Sheet of Central Bank of India ('the Parent Bank')& its subsidiaries (collectively known as "Group") & Associates as at March 31, 2019, the abridged consolidated Profit and Loss Account annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Consolidated Financial Statements).

These abridged consolidated financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification by Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited consolidated financial statements of the Parent Bank for the year ended March 31, 2019 prepared by the Parent Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard 23 – 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and covered by our report dated May 22, 2019 to the Board of Directors of the Parent Bank, which is attached hereto.

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place : Mumbai

Date : 22 May 2019

ABRIDGED CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF CENTRAL BANK OF INDIA AS AT MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2019 (Current Year)	As at March 31, 2018 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	**4,04,720.14**	**2,61,815.58**
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	**2,07,591.31**	2,07,591.31
Capital Reserve	**4,24,011.04**	4,23,938.12
Share Premium	**22,15,383.34**	16,99,087.91
Revenue and Other Reserves	**2,54,809.52**	2,49,182.68
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	**12,845.13**	12,309.15
Balance in Profit & Loss a/c.	**(16,01,011.06)**	(10,32,878.65)
Total	**15,13,629.28**	**15,59,230.52**
Minorities Interest	**4,345.72**	3,980.88
Share application money pending allotment	**21,254.09**	**-**
Deposits		
Demand Deposits	**16,40,930.69**	14,67,817.85
Savings Bank Deposits	**1,22,13,886.74**	1,10,50,928.92
Term Deposits	**1,61,76,321.13**	1,70,16,701.98
Total	**3,00,31,138.56**	**2,95,35,448.75**
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	**-**	-
(b) from other banks	**37,505.14**	29,071.91
(c) from other institutions and agencies	**29,551.45**	41,086.28
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	**53,000.00**	80,000.00
(e) Upper Tier II bonds	**2,30,000.00**	2,88,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	**13,910.00**	13,910.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	**2,00,000.00**	1,50,000.00
2. Borrowings outside India	**-**	-
Total [1 & 2]	**5,63,966.59**	**6,02,568.19**
Other Liabilties & Provisions		
Bills payable	**64,542.86**	69,186.35
Inter-office adjustments (net)	**-**	55,264.39
Interest accrued	**83,719.40**	77,601.43
Provisions towards standard assets	**48,183.02**	50,046.50
Deferred Tax Liability (net)	**-**	-
Others	**4,52,964.49**	5,19,787.27
Total	**6,49,409.77**	**7,71,885.94**
Total Capital and Liabilities	**3,31,88,464.15**	**3,27,34,929.86**
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	**20,77,944.97**	**36,00,011.96**
Balances with banks and money at call and short notice		
Balances with banks in India	**16,454.32**	14,977.23
Money at call and short notice in India	**10,34,663.71**	2,01,073.48
Balances with banks outside India	**696.17**	684.27
Money at call and short notice outside India	**-**	1,09,494.00
Total	**10,51,814.20**	**3,26,228.98**
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	**96,23,578.75**	81,34,689.49
(b) Other approved securities	**-**	-
(c) Shares	**83,420.97**	1,26,116.55
(d) Debentures and Bonds	**21,46,943.17**	14,22,051.98
(e) Investments in Associates	**32,789.14**	32,443.10
(f) Others	**6,43,841.40**	5,48,280.52
2. Outside India	**14,700.22**	13,364.83
Total [1 & 2]	**1,25,45,273.65**	**1,02,76,946.47**

ABRIDGED CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF CENTRAL BANK OF INDIA AS AT MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2019 (Current Year)	As at March 31, 2018 (Previous Year)
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	**1,11,087.22**	1,21,087.70
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	**70,62,782.83**	70,67,854.03
(c) Term loans	**75,68,677.63**	85,59,010.93
2. Outside India	**-**	-
Total [1 & 2]	**1,47,42,547.68**	**1,57,47,952.66**
Fixed assets	**4,31,091.50**	**4,34,396.44**
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	**12,559.27**	-
Interest accrued	**1,85,196.12**	1,68,330.27
Tax paid in advance/ deducted at source	**5,16,704.99**	5,35,020.38
Deferred Tax Asset (net)	**7,88,210.35**	5,35,758.50
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
Stationery and Stamps	**2,018.11**	1,998.46
Others	**8,34,214.35**	11,07,396.78
Total	**23,38,903.19**	**23,48,504.39**
Goodwill on Consolidation	888.96	888.96
Total Assets	**3,31,88,464.15**	**3,27,34,929.86**
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	**10,549.91**	11,064.50
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc	**2,57,349.15**	2,98,420.36
Liability for partly paid investments	**524.98**	761.40
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	**64,44,322.69**	92,83,133.29
Guarantees given on behalf of constituents	**12,28,426.37**	10,72,501.31
Acceptances, endorsements and other obligations	**6,61,572.13**	12,30,092.67
Other items for which the bank is contingently liable	**64,558.61**	44,292.73
Total	**86,67,303.84**	**1,19,40,266.26**
Bills for collection	**16,24,739.15**	**14,48,606.70**

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019

ABRIDGED CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULAR	For the year ended March 31, 2019 (Current Year)	For the year ended March 31, 2018 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	**13,05,383.18**	14,60,094.58
On investments	**8,46,020.32**	7,14,270.65
On balances with RBI and inter-bank funds	**87,280.57**	2,05,854.42
Others	**36,177.88**	36,091.99
Total	**22,74,861.95**	**24,16,311.64**
Other income		
Commission, exchange and brokerage	**1,20,695.33**	1,26,573.07
Net profit on sale of investments	**21,518.79**	57,667.55
Net profit on sale of land, buildings and other assets	**(442.69)**	(449.17)
Net profit on exchange transactions	**14,043.72**	14,090.54
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	**-**	-
Miscellaneous income	**85,818.12**	64,158.77
Total	**2,41,633.27**	**2,62,040.76**
Total Income	**25,16,495.22**	**26,78,352.40**
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	**15,27,481.76**	16,22,075.41
On RBI/ inter-bank borrowings	**7,437.15**	9,110.46
Others	**58,546.88**	1,29,146.24
Total	**15,93,465.79**	**17,60,332.11**
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	**3,57,448.21**	3,99,004.72
Rent, taxes and lighting	**47,409.70**	47,661.50
Printing and stationery	**2,890.78**	3,638.88
Advertisement and publicity	**1,062.84**	2,418.20
Depreciation on bank's property	**27,793.48**	26,049.89
Director's fees, allowances and expenses	**185.25**	139.30
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	**3,058.25**	2,010.56
Law charges	**1,817.12**	1,860.76
Postage, telegrams, telephones etc.	**9,013.93**	6,654.75
Repairs and maintenance	**9,901.00**	11,337.62
Bad Debts Written Off	**37.57**	7.31
Insurance	**30,011.36**	35,720.72
Others	**1,17,386.37**	**1,06,073.19**
Total	**6,08,015.86**	**6,42,577.40**
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	**98,388.00**	79,417.00
Provision towards non performing assets	**10,62,825.72**	9,56,664.69
Provision towards standard assets	**(11,575.20)**	551.10
Others (excluding income taxes)	**(19,853.68)**	26,396.04
Total	**11,29,784.84**	**10,63,028.83**
Total expenses and provisions	**33,31,266.49**	**34,65,938.34**

ABRIDGED CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakh)

PARTICULAR	For the year ended March 31, 2019 (Current Year)	For the year ended March 31, 2018 (Previous Year)
Profit/(loss) before tax	**(8,14,771.27)**	(7,87,585.94)
Current tax	**728.60**	23,310.69
Deferred tax	**(2,52,728.19)**	(3,01,339.56)
Profit/(loss) after tax	**(5,62,771.68)**	**(5,09,557.07)**
Add: Share of earnings in Associates	**1,658.60**	**(3,803.86)**
Less Minority Interest	**(579.43)**	**(599.36)**
Less: Profit pre Acquisition	**-**	**-**
Group Profit	**(5,61,692.51)**	**(5,13,960.29)**
Profit/ Loss brought forward	**(10,32,878.65)**	**(5,08,851.64)**
Less Decrease in brought forward Consolidated Profit due to transfer of Investment in Associates	**-**	**-**
Total	**(15,94,571.16)**	**(10,22,811.93)**
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	**-**	-
Investment Reserve	**5,637.62**	9,186.85
Revenue Reserves	**159.00**	242.86
Dividend Tax	**107.30**	65.55
Special Reserve u/s 36 (1) (viii)	**535.98**	571.46
Balance carried forward to balance sheet	**(16,01,011.06)**	**(10,32,878.65)**

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2019	31- 03- 2018
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	**(8,131.13)**	(7,913.90)
	I Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	**277.93**	260.50
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	**983.88**	794.17
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**10,628.26**	9,566.65
	Provision for Standard Assets	**(115.75)**	5.51
	Provision for Other items (Net)	**(198.54)**	263.96
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	**4.43**	4.49
	Sub total	**3,449.08**	**2,981.38**
	II Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	**4,956.90**	(1,954.74)
	Increase / (Decrease) in Borrowings	**(386.02)**	(3,597.62)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(1,103.14)**	(1,826.94)
	(Increase) / Decrease in Advances	**(574.21)**	(26,582.21)
	(Increase) / Decrease in Investments	**(23,667.15)**	(11,287.07)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	**2,635.91**	(1,808.19)
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	**178.64**	(301.02)
	Sub total	**(17,959.07)**	**(47,357.80)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(14,509.98)**	**(44,376.42)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	**3.48**	4.13
	Purchase of Fixed Assets	**(254.42)**	(314.36)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(250.94)**	**(310.23)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	**6,592.00**	5,158.00
	Share Application Money	**212.54**	-
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**(7.00)**	(3.25)
	Dividend Tax	**(1.43)**	(0.66)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**6,796.11**	**5,154.09**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**(7,964.81)**	**(39,532.56)**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2019	31- 03- 2018
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**36,000.12**	75,087.18
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**3,262.29**	3,707.79
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**39,262.41**	**78,794.97**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**20,779.45**	36,000.12
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**10,518.14**	3,262.29
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**31,297.59**	**39,262.41**

Notes:

1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

PALLAV MOHAPATRA
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

THOMAS MATHEW
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA DARSHIT DOSHI)
Partner
M.No.133755

For MUKUND M CHITALE & CO
Chartered Accountants
F.R. No.106655W

(CA A. V. KAMAT)
Partner
M.No.039585

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA DEEPAK GARG)
Partner
M.No.093348

Place: Mumbai
Date: May 22, 2019

नोट्स / Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

12th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 12th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of CENTRAL BANK OF INDIA to be held on Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Signature of the Proxy

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:

 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.

 b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.

 c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.

3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 21st June, 2019, being the immediate preceding working day to Sunday, 23rd June, 2019 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.

4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.

9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in ‘Form B’.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

12th Annual General Meeting – Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters) Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/
Representative Present

Day and Date	Friday, 28th June, 2019
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

12th Annual General Meeting – Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes



Uchitha Graphic • 40336400